सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
फैक्स : 0522–2741221
E-mail : nadwa@sancharnet.in
nadwa@bsnl.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 18/-
वार्षिक	₹ 200/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 युएस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

फरवरी, 2017 वर्ष 15 अंक 12

सच्चा राही कहता है

वर्ष पन्द्रह कर लिये पूरे सच्चा राही कहता है
पाठ निरंतर मैंने पढ़ाए सच्चा राही कहता है
हिन्दी भाषी जनता का मैं बहुत ही प्रिय परचा हूँ
हर युवक पढ़ता है मुझ को सच्चा राही कहता है
प्रेम भाव की बातें रखना, केवल एक की पूजा करना
विषय सदा यह रहे हैं अपने सच्चा राही कहता है
यद्यपि घाटा रहा निरंतर फिर भी मार्ग नहीं छोड़ा
नदवे का संरक्षण था जो, सच्चा राही कहता है
पिछलेको स्वीकृति मिले, और आगे का सामर्थ्य
विनय में अपनी रब से अपने सच्चा राही कहता है

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौ0 बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी	03
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	05
लोगों तक पहुंचा दो मेरी	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	07
दीने इस्लाम का मिज़ाज	ह0 मौ0सै0 अबुल हसन अली हसनी नदवी रह0	10
मुस्लिम प्रस्नल लॉ बोर्ड	ह0 मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	13
प्रकृति की आवाज़	मौलाना मुहम्मद इस्हाक़ सन्दीलवी रह0	17
कामन सिविल कोड	मौलाना ख़ालिद सैफुल्लाह रहमानी	21
तलाक़ इस्लाम का आदलाना	मौ0 बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी	25
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फ़र आलम नदवी	28
बचत	मौलाना नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी	32
धर्म की मौलिकता	इं0 जावेद इक़बाल	33
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम	फ़ौज़िया सिद्दीक़ा	36
ज़िक्रे रसूल की मजलिसें	मौ0 सै0 मुहम्मद हजमा हसनी नदवी	38
दिल से दुरूद उन पर (पद्य)	इदारा	39
उर्दू सीखिए	इदारा	40

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़यी हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-आले इमरान:

अनुवाद- तो वे अल्लाह की कृपा और इनआ़म के साथ वापस हुए उन का बाल भी बांका नहीं हुआ और वे अल्लाह की मर्ज़ी पर चले और अल्लाह बड़ा करम वाला है[1](174) यह तो शैतान है जो तुम को अपने भाई–बंधुओं से डराता है तो तुम उन से डरो मत और मुझ ही से डरो अगर तुम ईमान रखते हो[2](175) और आप उन लोगों के ग़म में न पड़ें जो कुफ़्र में तेज़ी से बढ़ते जाते हैं वे अल्लाह को हरगिज़ कुछ भी नुक़सान नहीं पहुंचा सकते, अल्लाह की चाहत यही है कि उनके लिए आख़िरत में कुछ भी हिस्सा बाक़ी न रखे और उनके लिए बड़ा अज़ाब है[3](176) बेशक जिन्होंने ईमान के बदले कुफ़्र का सौदा किया वे हरगिज़ अल्लाह को ज़रा भी नुक़सान नहीं पहुंचा सकते और उनके लिए दुखद अज़ाब है(177) और जिन्होंने कुफ़्र किया वे हरगिज़ यह न सोचें कि हम उनको जो मोहलत दे रहे हैं वह उनके लिए बेहतर है हम तो उनको ढील इसलिए दे रहे हैं ताकि वे गुनाह में बढ़ते चले जाएं और उनके लिए अपमानजनक अज़ाब है(178) तुम जिस हाल में हो अल्लाह तआला उस हाल में ईमान वालों को उस समय तक छोड़ने वाला नहीं है जब तक पवित्र को अपवित्र से अलग न कर दे और अल्लाह तआ़ला तुम्हें ग़ैब से अवगत भी नहीं कराएगा हां वह अपने पैग़म्बरों में जिस को चाहता है चुन लेता है तो तुम अल्लाह और उसके पैग़म्बरों पर ईमान लाओ और अगर तुम ईमान लाते हो और परहेज़गारी अपनाते हो तो तुम्हारे लिए बड़ा बदला है[4](179) और वे लोग जो उस माल में कंजूसी करते हैं जो अल्लाह ने उनको अपनी कृपा से प्रदान किया है वे उसको अपने लिए ज़ियादा अच्छा न समझें बल्कि यह तो उनके लिए सरा सर बुरा है जिस चीज़ में भी उन्होंने कंजूसी से काम लिया क़यामत के दिन उसका पट्टा उनको पहनाया जाएगा और आसमानों और ज़मीन का वारिस अल्लाह ही है और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे कामों की पूरी खबर रखने वाला है[5](180)। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन रखी है जिन्होंने कहा कि अल्लाह फ़क़ीर है और हम धनी हैं और उन्होंने जो भी कहा और पैग़म्बरों के जो अनुचित हत्याएं की हम सब लिख रहे हैं और हम कहेंगे कि आग के अज़ाब का मज़ा चखो[6](181) यह सब तुम्हारी करतूतों की सज़ा है

और अल्लाह बन्दों के लिए ज़रा भी अन्याय करने वाला नहीं है(182) जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने हम को ताकीद कर रखी है कि हम किसी पैग़म्बर को उस समय तक न मानें जब तक वह हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न पेश कर दे जिस को आग खा ले, आप कह दीजिए कि मुझ से पहले कितने ही पैग़म्बर खुली निशानियां और उस चीज़ को लेकर आ चुके हैं जो तुम कह रहे हो तो अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो तुम ने उन को क्यों क़त्ल किया[7](183) फिर अगर उन्होंने आपको झुठलाया तो आप से पहले भी पैगम्बर झुठलाए जा चुके हैं जो खुली निशानियां और सहीफ़े और रौशन किताब ले कर आए[8](184) हर जान को मौत का मज़ा चख़ना है और क़यामत के दिन तुम्हें पूरे के पूरे बदले दे दिए जाएंगे तो जो भी दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में पहुंचा दिया गया तो उस का तो काम बन गया और दुन्या की जिन्दगी तो धोखा के समान के सिवा कुछ भी नहीं(185) तुम्हें अपने मालों और जानों में ज़रूर आज़माया जाएगा और तुम उन लोगों से जिन को तुम से पहले किताब मिली और मुश्रिकों से बहुत कुछ दुखदायी बातें सुनोगे फिर अगर तुम सब्र करो और परहेज़गारी के साथ रहो तो बेशक यह बड़ी हिम्मत के काम हैं[9](186)।

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. 'हमराउल असद' में मुसलमानों ने व्यापारिक लाभ भी हासिल किया और बिना लड़ाई के वापस हुए, उसकी ओर भी इशारा है और उहद ही में अबू सुफ़ियान ने अगले साल बद्र नामक स्थान पर लड़ाई का ऐलान किया था, मुसलमान समय पर सेना ले कर वहां पहुंचे लेकिन दुश्मन पर धाक जम गयी और वे वहां नहीं आए, मुसलमानों ने वहां भी व्यापार इत्यादि किया और लाभ कमाया और सकुशल वापस आए उस की ओर भी इशारा है।

2. जो शैतान के कहने पर चले वह खुद शैतान हैं।

3. मुनाफ़िकों (कपटियों) का काम था कि मुसलमानों को कुछ तकलीफ़ें पहुंचती तो फौरन कुफ़्र की बातें करने लगते।

4. अल्लाह इसी तरह मोमिनों और मुनाफ़िकों को अलग अलग कर देता है वह ग़ैब की बातें नहीं बताता, हां जितनी बातें चाहता है अपने पैग़म्बर को बताता है।

5. जो कोई ज़कात न देगा उस का माल कोबरा साँप बन कर उसके गले में पड़ जाएगा और उसके कल्ले चीरेगा और वारिस तो अल्लाह ही है, आख़िर तुम मर जाओगे और माल उसी का हो कर रहेगा, बस अपने हाथ से दो तो सवाब पाओगे।

6. अब आदेश आया कि अल्लाह को अच्छा कर्ज़ दो उस पर उन यहूदियों ने मज़ाक उड़ाया कि अल्लाह फ़कीर है हम धनी हैं इसलिए हम से क़र्ज़ मांगा जा रहा है और इससे पहले कितने पैग़म्बरों का वे क़त्ल कर चुके थे, आसमानी किताबों के संदर्भ से इसका कुछ विवरण

शेष पृष्ठ ....06 पर.

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

झूठ की हुरमत कुर्आन में:-

अनुवादः- उस बात के पीछे न पड़ो जिस का तुम को इल्म नहीं। (बनी इस्राईल—03)

कोई बात जबान से नहीं निकालता मगर उसके पास एक निगरां तैयार रहता है। (सूरः काफ—02)

सच्चाई की आदतः-

हजरत इब्ने मसऊद रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि सच्चाई नेकी की ओर मोड़ती है और नेकी जन्नत में ले जाती है और आदमी सच बोलते बोलते अल्लाह के यहां बड़ा सच्चा और हक बात कहने वाला लिखा जाता है, और झूठ गुनाह की ओर आकर्षित करता है और गुनाह दोज़ख़ में ले जाता है और आदमी झूठ बोलते बोलते अल्लाह के यहां बड़ा झूठ बोलने वाला लिख लिया जाता है। (बुखारी—मुस्लिम)

मुनाफिक की अलामतें:-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया चार आदतें ऐसी हैं कि अगर किसी में इकटठी हो जायें तो वह मुकम्मल मुनाफिक है—

(1) जब उस को किसी अमानत का अमीन बनाया जाये तो गबन करे (2) जब बात करे तो झूठ बोले (3) वादा करे तो पूरा न करे (4) और जब किसी से झगड़ा हो तो गाली गलोज करे।

(बुखारी—मुस्लिम)

स्वप्न गढ़ने की सज़ा:-

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जिस ने कोई झूठा स्वप्न बयान किया जो उस ने देखा नहीं तो उस को मजबूर किया जायेगा कि "जौ" के दो दानों में गांठ लगाये, मगर वह हरगिज़ न लगा सकेगा और जिस ने किसी की बात सुनी या कान उस की ओर लगा दिये और वह बात ऐसी है कि लोग उस को जाहिर करना नहीं चाहते तो कयामत के दिन उस के दोनों कानों मे सीसा पिघला कर डाला जायेगा, और जिस ने तस्वीर बनाई तो उस को अजाब दिया जाये गा कि उस में रूह (प्राण) फूंको और वह प्राण न फूंक सकेगा। (बुखारी)

हज़रत इब्ने उमर रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया सब से झूठी बात यह है कि आदमी अपनी आंखों को वह दिखाये जो उन्होंने नहीं देखा अर्थात वह स्वप्न बयान करे जो उस ने नहीं देखा तो उसको असंभव कार्य पर मजबूर किया जायेगा। (बुखारी)

हज़रत उम्मे कुल्सूम रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते थे कि वह आदमी झूठा नहीं है जो अपनी ओर से कोई बात जोड़ कर लोगों में मेल मिलाप करा दे।

(बुखारी—मुस्लिम)

मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है कि हज़रत उम्मे कुल्सूम रज़ि0 ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन मौकों पर झूठ बोलने की अनुमति दी है–

(1) जंग के समय, अर्थात झूठ बोल कर प्रतिद्वन्दी को धोका देना (2) लोगों में सुलह के ख्याल से, अर्थात दो लोगों में रंजिश हो, तीसरा आदमी अपनी ओर से बात बना बना कर उनके दिल साफ कर दे। (3) पति पत्नी के मध्य की बातचीत में, अर्थात एक दूसरे को खुश करने और सम्बन्धों को बेहतर रखने हेतु।

जो बात ज़बान से कहे तहकीक़ कर के कहेः–

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया झूठे होने के लिए यही काफी है कि सुनी सुनाई बातें लोगों से कहता फिरे। (मुस्लिम)

हज़रत समुरह रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जिस ने मेरी कोई हदीस नकल की और वह समझ रहे हैं कि यह गलत है तो वह दो झूठों में एक झूठा है। (मुस्लिम) अर्थात दो झूठों में से एक झूठे का अर्थ यह है कि एक झूठा वह जिस ने रिवायत गढ़ी, दूसरा वह जो उसको बयान करता फिरे।

हज़रत अस्मा रज़ि0 से रिवायत है कि एक सहाबिया औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में आईं और अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरी एक सौतन है, अगर मैं उस पर यह जाहिर करूं कि शौहर ने फुलां चीज़ दी है और सत्य यह है कि वह चीज नहीं दी तो क्या मुझ पर गुनाह होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया उस चीज़ को जाहिर करने वाला जो उस को नहीं दी गई झूठ के दो कपड़े पहनने वाले के समान है। (बुखारी–मुस्लिम)।

◆◆

कुर्आन की शिक्षा .....

इसी सूरह की आयत 112 में गुज़र चुका है।

7. पहली उम्मतों में माले ग़नीमत (युद्ध में शत्रुधन) को आग खा जाती थी और यही उसके कबूल होने की पहचान थी, इसी प्रकार वह जो अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करता उसके भी कुबूल होने की पहचान यही होती थी, यहूदियों ने इसको बहाना बनाया और आ कर कहा कि जब तक आप यह चीज़ नहीं दिखाएंगे हम नहीं मानेंगे, उन से कहा गया कि जिन पैग़म्बरों ने चमत्कार दिखाए उन को फिर तुम ने क्यों क़त्ल किया।

8. यह हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि उनके झुठलाने पर आप दुखी न हों हर पैग़म्बर के साथ यह हुआ है।

9. यह सब मुसलमानों से कहा जा रहा है, बुख़ारी शरीफ़ की एक हदीस से मालूम होता है कि यह आयत बद्र युद्ध से पहले उतरी थी और आगे जो परेशानियां व कठिनाइयां सामने आने वाली थीं उनकी ओर इसमें इशारा है, उनका इलाज सब्र व तकवा से बताया गया है और यह क़यामत तक मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा नुस्ख़ा है।

◆◆

–प्रस्तुति–

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

लोगों तक पहुंचा दो मेरी ओर से चाहे एक ही बात क्यों न हो

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

"लोगों तक मेरी ओर से पहुंचा दो चाहे वह एक ही बात क्यों न हो" यह बात अल्लाह के अन्तिम सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने अनुयायी जनों से कही थी, इस का यह अर्थ नहीं है कि तुम पर केवल मेरी बात लोगों तक पहुंचाना है एक बात भी पहुंचा दोगे तो मेरे आदेश का पालन हो जाएगा अपितु इस का अर्थ यह है कि मुझ से जो कुछ दीन के विषय में सीखो उसे अपने तक न रखो दूसरों तक पहुंचा दो यदि एक बात सीखी हो तो वह एक बात भी दूसरे तक पहुंचा दो इस आदेश पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथी (सहाब—ए किराम रज़ि0) ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक एक बात दूसरों तक बहुत अच्छे ढंग से पहुंचाई फिर दीन की बात पहुंचाने का सिलसिला चल पड़ा और लोग मुसलसल दीन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते रहे और आज तक यह सिलसिला जारी है और इनशा अल्लाह कियामत तक जारी रहेगा।

इसी दीन की बात पहुंचाने (तबलीग़े दीन) का परिणाम यह हुआ कि आज इस्लाम संसार के कोने कोने तक पहुंचा हुआ है।

दीन पहुंचाने अर्थात तब्लीग़े दीन के बहुत से साधन हैं कुछ लोग दीनी मक्तब स्थापित करके मुस्लिम बच्चों को दीन की आवश्यक बातें सिखाते हैं पवित्र कुर्आन के पढ़ने का ज्ञान देते हैं, तो कुछ दीन से परिचित लोग बड़े मदरसे स्थापित करके कुछ मुसलमानों को दीन का समस्त ज्ञान, पवित्र कुर्आन की तफ़सीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस, फ़िक़्ह (इस्लामिक विधान), का ज्ञान, इस्लामिक इतिहास और इस्लामिक आचरण आदि की शिक्षा देते हैं अल्लाह उनकी मदद करे। कुछ लोग गोष्ठियों (जल्से) कर के अपने दीनी भाषण द्वारा लोगों में दीन की भावना उभारते हैं और दीन की आवश्यक बातें पहुंचाते हैं, तो कुछ अल्लाह के भक्त समूह बना कर तब्लीगी जमाअत के रूप में निकल कर मुसलमानों के घर घर जाते हैं उन से मिलते हैं उनको मस्जिदों में एकत्र कर के दीन सीखने और दीन सिखाने के काम पर उभारते हैं, यह काम आज कल विश्व स्तर पर हो रहा है और इससे दीन को फैलाने तथा दीन बरपा करने का बड़ा काम हो रहा है, अल्लाह इस जमाअत की सुरक्षा करे और मदद करे और भाइयों को इस में लगने का सामर्थ्य दे। कुछ और जमाअतें भी लिट्रेचर द्वारा इस्लामिक शिक्षाओं के फैलाने का काम कर रही हैं, उन में जमाअते इस्लामी का बड़ा काम है।

औरतों की दीनी शिक्षा:-

अब तक दीनी मकातिब में नाबालिग़ बच्चे बच्चियों को दीन की आवश्यक बातों की शिक्षा दी जाती रही है

कुछ लड़के बड़े हो कर जिन को अल्लाह तौफ़ीक देता दीन की उच्च शिक्षा प्राप्त कर के आलिमे दीन बनते रहे हैं और दीन का काम करते रहे हैं और कर रहे हैं परन्तु औरतों की उच्च दीनी शिक्षा की ओर ध्यान न था, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ इधर कुछ वर्षों से अल्लाह तआला ने दीनदार मुसलमानों के दिल में बात डाली और उन्होंने औरतों की उच्च दीनी शिक्षा के मदरसे काइम किये इस सिलसिले को बड़ी सफलता मिली और आज जगह जगह लड़कियों की उच्च दीनी शिक्षा के मदरसे काम कर रहे हैं और हर साल लड़कियों की बड़ी तादाद आलिमा बन रही है। इस बात के उल्लेख में कोई हरज की बात नहीं अपितु लाभ ही है कि अल्लाह के मदद से मेरी चार पोतियों और एक नवासी ने आलिमीयत का कोर्स पूरा किया और अपने अपने छेत्रों में दीन का काम कर रही हैं। पांचवीं पोती भी आलिमीयत का कोर्स कर रही है, मेरे पोते की बीवी भी "डॉ0 इश्तियाक़ साहब रह0 के मदरसे से आलिमा है, और अल्लाह का शुक्र है सब की सब अच्छी हिन्दी भी जानती हैं और दो पोतियां तो आलिमियत के साथ बी0ए0 भी हैं। अल्लाह का यह बड़ा ही करम है कि हर वर्ष बहुत सी लड़कियां दीन की उच्च शिक्षा पूरी कर के दो परिवारों को दीनदार तथा सभ्य बनाने का काम कर रही हैं, अल्लाह तआला उन की भरपूर मदद करे।

दीन के प्रसारण का एक माध्यम दीनी पत्रिकाएं भी हैं अतएव हमारे भारत में विभिन्न भाषाओं में अन गिनत दीनी पत्रिकाएं यह काम कर रही हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में दीनदार मुसलमानों में उर्दू भाषा का चलन है अतएवं उत्तर प्रदेश में बहुत से दीनी पत्रिकाएं उर्दू में प्रकाशित हो रही हैं। स्वयं हमारे दारुल उलूम नदवतुल उलमा से एक अर्ध मासिक उर्दू पत्रिका "तामीरे हयात" प्रकाशित होती है जिसकी सेवा को 54 वर्ष बीत चुके हैं, नदवतुल उलमा ही के आम निगरां मौलाना सय्यिद मुहम्मद हम्ज़ा हसनी की सम्पादकता में औरतों के लिए "रिज़वान" नाम की उर्दू पत्रिका लम्बे समय से औरतों में दीन के प्रसारण का काम कर रही है, इसी प्रकार नदवतुल उलमा से संबन्धित लड़कियों के मदरसे "जामिअतुल मोमिनात" से "अल मोमिनात" नामक पत्रिका दीन के प्रसारण का काम कर रही है, लखनऊ से और भी कई दीनी उर्दू पत्रिकाएं जैसे "अलफुरकान" "बांगे हिरा" आदि प्रकाशित होती हैं।

सच्चा राही:- नदवतुल उलमा के बुजुर्गों विशेष कर नाजिम नदवतुल उलमा हज़रत मौलाना सय्यिद मुहम्मद राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुम और उनके भाई मोतमद तालीम नदवतुल उलमा हज़रत मौलाना सय्यिद वाज़ेह रशीद हसनी नदवी मददज़िल्लुहू ने निर्णय लिया कि नदवतुल उलमा से एक दीनी हिन्दी पत्रिका भी प्रकाशित हो इसलिए कि अब युवक जनों की अधिकांश संख्या उर्दू से अपरिचित हो चुकी है। अतएव एक मीटिंग में यह बात तय हो गई और जनाब मास्टर अतहर हुसैन सिक्रेटरी मजलिसे सहाफ़त व नशरियात जो अब मोतमद माल नदवतुल उलमा हैं, इसके जिम्मेदार और संरक्षक बनाये गये, मुझ "डॉ0 (हारून रशीद)" को उस का सम्पादक

नियुक्त किया गया जनाब मास्टर साहब ने "सच्चा राही" नाम तजवीज़ कर के पास कराया और मार्च सन् 2002 को "सच्चा राही" सेवा पर आ गया। जनाब मास्टर मुहम्मद हसन अन्सारी और जनाब मास्टर हबीबुल्लाह आज़मी सहायक सम्पादक नियुक्त हुए यद्यपि वह दोनों बुजुर्ग अब इस संसार में नहीं हैं परन्तु उन का सच्चा राही अब तक कार्यरत है।

अब सहायक सम्पादक जनाब मौलाना सय्यिद मुहम्मद गुफ़रान नदवी हैं। अल्लाह तआला उन की और मेरी मदद करे आमीन।

सच्चा राही में आम तौर से तामीरे हयात उर्दू में छपे नदवतुल उलमा के बुजुर्गों के लेखों का अनुवाद या उसकी हिन्दी लिपि प्रस्तुत की जाती है विशेष कर प्रश्नोत्तर आवश्य लिये जाते हैं जो मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी के क़लम से होते हैं। हज़रत मौलाना अली मियां रह0 का कोई अहम लेख उनकी किसी पुस्तक से प्रस्तुत किया जाता है आज कल "कुर्आन की शिक्षा" मौलाना बिलाल अब्दुल हयी हसनी के क़लम से प्रकाशित होता है और "प्यारे नबी की प्यारी बातें" अमतुल्लाह तस्नीम साहिबा (मौलाना अली मियां रह0 की बहन) की उर्दू पुस्तक ज़ादे सफ़र उर्दू से जनाब मौलाना जमाल अहमद साहब नदवी सुलतानपुरी हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करते हैं, बाज़ दूसरे प्रसिद्ध लेखकों के लाभदायक लेख भी प्रकाशित होते हैं। जैसे इंजीनियर मुहम्मद जावेद साहब और मौलाना नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी आदि।

अनुरोधः-

दूसरे हिन्दी लेखकों से भी अनुरोध है कि वह सच्चा राही के पाठकों के लिए लाभदायक लेख भेजें उनके धन्यवाद के साथ प्रकाशित किये जाएंगे। बस इस का ध्यान रहे कि जो लेखक आलिम नहीं हैं वह कुर्आन और हदीस के विषय को आलिमों के लिये छोड़े रखें।

वह नैतिक, सामाजिक, इस्लामिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा संबंधित लेख सरल भाषा में तथा सरलता से समझ में आ जाने वाले लेख भेजें उन के शुक्रिये के साथ प्रकाशित किये जाएंगे परन्तु स्पष्ट रहे कि "सच्चा राही" अपने लेखकों को कोई प्रतिफल प्रस्तुत करने में असमर्थ है आप अल्लाह वास्ते लिखें और भेजें तथा सवाब लें।

"सच्चा रही" नदवतुल उलमा का अर्थात अहले सुन्नत वल जमाअ़त का मत प्रस्तुत करता है "सच्चा राही" उम्मत में एकता चाहता है। अपितु मानव जाति में एकता का आवाहक है इस के लिए यह हज़रत मौलाना अली मियां रह0 की तहरीक (आन्दोलन) "मानवता का सन्देश" को अपनाता और फैलाता है, और मत भेद पैदा करने वाले लेखों से बचने का प्रयास करता है।

राजनैतिक लेखों से यथा सम्भव बचता है लेखकों से अनुरोध है कि इन तमाम बातों को ध्यान में रख कर लेख लिख कर भेजें सच्चा राही "बल्लिग़ू अ़न्नी व लौ आयतन" (मेरी ओर से लोगों को पहुंचा दो चाहे एक बात ही क्यों न हो) श्रृंखला का एक सेवक है।

❖❖❖

दीने इस्लाम का मिज़ाज और उसकी नुमायां खुसूसियात

—हज़रत मौ0 सै0 अबुल हसन अली हसनी नदवी रह0

—अनुवाद मु0 हसन अंसारी

नबूवत का बुन्यादी मक़सदः—

अल्लाह के बारे में सही अक़ीदा और सिर्फ़ एक अल्लाह की बन्दगी की दावत हर ज़माने में नबियों की पहली दावत और उनके इस दुन्या में आने का पहला और अहमतरीन मक़सद रहा है। हमेशा उनकी तालीम यही रही है कि अल्लाह ही नफ़ा व नुक़सान पहुंचाने की ताक़त रखता है और सिर्फ़ वही इबादत और कुर्बानी का मुस्तहिक़ है। उन्होंने हमेशा मूर्तियों, ज़िन्दा व मुर्दा शख़्सीयतों की पूजा का डट कर विरोध किया। इन हस्तियों के बारे में जाहिल लोगों का अक़ीदा था कि अल्लाह ने इन्हें ऐसी इज़्ज़त व अज़मत दी है और ऐसा जामा पहनाया है कि इनकी पूजा की जाये। वह यह भी समझते थे कि अल्लाह ने इन को ख़ास—ख़ास कामों में नफा नुक़सान पहुंचाने का इख़्तियार भी दे रखा है और इन्सानों के बारे में इनकी सिफ़ारिशों को कुबूल फ़रमाता है जिस तरह बादशाह हर इलाक़े के लिए एक हाकिम भेज देता है। और कुछ अहम बातों के अलावा इलाक़े के इन्तेज़ाम की सारी ज़िम्मेदारी उन्हीं के सर डाल देता है इसलिए उन्हीं के पास जाना और उन्हीं को राज़ी करना मुफ़ीद और ज़रूरी है।

जिस शख़्स को कुर्आन से कुछ भी तअल्लुक़ है उसको यह बात ज़रूर मालूम होगी कि शिर्क व बुतपरस्ती के ख़िलाफ मोर्चाबन्दी, उस से जंग करना, उसे दुन्या से ख़त्म करने की कोशिश करना और लोगों को उसके चुंगल से हमेशा के लिए नजात दिलाना, नबूवत का बुन्यादी मक़सद थाः—

कुर्आन इनके बारे में कहता हैः—

तर्जुमाः *"और जो पैग़म्बर हम ने तुम से पहले भेजे उनकी तरफ़ यही "वही" भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत करो।" (सूरः अंबिया—25)*

और कभी तफ़सील के साथ एक—एक नबी का नाम लेता है और बताता है कि इन की दावत की इब्तेदा इसी तौहीद की दावत से हुई थी और पहली बात जो उन्होंने कही वह यही थी। *"ऐ मेरी क़ौम के लोगो! खुदा की इबादत करो उस के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं।"*

(सूरः अलआराफ़—56)

यही बुत परस्ती और शिर्क मुद्दतों से चली आ रही आलमगीर और सख़्तजान "जाहिलियत" है जो किसी ज़माने के साथ मख़्सूस नहीं। और इन्सान का सबसे पुराना मर्ज़ है जो तारीख़े इन्सानी के हर दौर में तमाम तबदीलियों और इन्केलाब के बावजूद उसके पीछे लगा रहता है। अल्लाह की ग़ैरत और उसके ग़ज़ब को भड़काता है। बन्दों की रूहानी व अख़लाक़ी तरक़्क़ी की राह का रोड़ा बनता है। और उनको इन्सानियत के ऊँचे दर्जे से गिरा कर पस्ती

के गढ़े में औंधे मुंह डाल देता है। और इसका रद्द करना क़यामत तक के लिए दीनी दावतों और इस्लाही तहरीकों की बुन्यादी बात है।

तर्जुमाः *"और यही बात अपनी औलाद में पीछे छोड़ गये ताकि वह (खुदा की तरफ़) रुजू करें। (सूरः जुख़रुफ–28)*

शिर्क की अहमियत कम करना जायज़ नहीं:-

यह हरगिज़ जायज़ नहीं कि नये इस्लाही व दावती तक़ाज़ा और ज़माने की नई ज़रूरतों के असर से "शिर्क जली की अहमियत को कम कर दिया जाये। या "सियासी इताअत" और इन्सानों की इबादत को एक दर्जे में रखा जाये और दोनों पर एक ही हुक्म लगाया जाये। या यह समझा जाये कि शिर्क जाहिलियत क़दीम की बीमारी और खराबी और जेहालत की एक भद्दी शक्ल थी जो इन्सान ग़ैर तरक़्क़ी याफ़्ता दौर ही में इख़्तियार कर सकता है। अब उसका दौर गुज़र गया, इन्सान बहुत तरक़्क़ी कर चुका है। यह दावा वाक़ियात के ख़िलाफ़ है। शिर्क जली बल्कि खुली हुई बुतपरस्ती आज भी एलानिया तौर पर मौजूद है और क़ौमों की क़ौमें, पूरे–पूरे मुल्क यहां तक कि बहुत से मुसलमान शिर्क जली में मुब्तला हैं। और कुर्आन का यह एलान आज भी सादिक़ है।

तर्जुमाः *"और उनमें अक्सरों का हाल यह है कि अल्लाह पर यक़ीन लाते और उसके साथ शरीक भी ठहराये जाते हैं।" (सूरः यूसुफ़–106)*

सिर्फ इतना ही नहीं यह अंबियाक्राम की दावत की एक तरह की नाक़दरी है और यह चीज़ ईमान व अक़ीदा को कमज़ोर बनाती है।

बिदअत और उससे होने वाले नुक़सानातः-

किसी एक चीज़ को जिस को अल्लाह व रसूल ने दीन में शामिल नहीं किया और उसका हुक्म नहीं दिया, दीन में शामिल कर लेना उसका एक जुज़ बना देना, उसको सवाब और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए करना, और उसकी खुद की बनाई हुई शरीयतों व आदाब की उसी तरह पाबन्दी करना जिस तरह एक हुक्म शरई की पाबन्दी की जाती है, बिदअत है। बिदअत दर हक़ीक़त दीन इलाही के अन्दर शरीयते इन्सानी की तशकील और "रियासत के अन्दर रियासत" है। इस "शरीयत" के अलग क़ानून हैं। जो कभी–कभी शरीअते इलाही के बराबर और कभी–कभी उससे बढ़ जाते हैं। बिदअत इस हक़ीक़त को नज़रअन्दाज़ करती है कि शरीअत मुकम्मल हो चुकी है। जिसको फ़र्ज़ व वाजिब बनना था वह फ़र्ज़ व वाजिब बन चुका है। दीन की टक्साल बन्द कर दी गयी, अब जो नया सिक्का यहां का निकला हुआ बताया जायेगा वह जाली होगा। इमाम मालिक रह0 ने खूब फ़रमाय *"जिसने इस्लाम में कोई बिदअत पैदा कर दी, और उसको वह अच्छा समझता है, वह इस बात का एलान करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पैग़ाम पहुंचाने में ख़यानत की, इसलिए कि अल्लाह तआला फ़रमाता है कि "मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया" पस जो बात अहदे रिसालत में दीन नहीं थी, वह आज भी दीन नहीं हो सकती।"*

शरीयत की ख़ुसूसियत यह है कि वह अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल हुई है। उसकी सहूलत और उसका हर एक के लिए हर ज़माने में क़ाबिले अमल होना इसकी खुसूसियत है। क्योंकि जो दीन का शारे (बनाने वाला) है वह इन्सान का ख़ालिक़ भी है। वह इन्सान की ज़रूरतों उसकी फ़ितरत और उसकी ताक़त व कमज़ोरी से वाक़िफ़ है।

तर्जुमाः *"(और भला) क्या वह न जानेगा जिसने पैदा किया और वह बारीक बीन पूरा बाख़बर है।" (सूरः अल्मुल्क–14)*

मगर जब इन्सान खुद शारे बन जायेगा तो इसका लेहाज नहीं रख सकता। बिदअत की आमेज़िशों और कभी–कभी इज़ाफ़ों के बाद दीन इस क़दर दुश्वार और पेचदार हो जाता है कि लोग मजबूर हो कर ऐसे मजहब का जुआ अपने कन्धों से उतार देते हैं। और "खुदा ने तुम्हारे लिए दीन में कोई तंगी नहीं रखी" की नेमत छीन ली जाती है।

दीन व शरीअत की एक खुसूसियत इन की आलमगीर समानता है। वह हर ज़माना, और हर दौर में एक ही रहते हैं। दुन्या के किसी हिस्से का कोई मुसलमान दुन्या के किसी दूसरे हिस्से में चला जाये तो उसको दीन व शरीअत पर अमल करने में न कोई दिक़्क़त पेश आयेगी न किसी मक़ामी हिदायतनामा और रहबर की ज़रूरत होगी। इसके बरख़िलाफ़ बिदअत में एकसानी नहीं पाई जाती, वह हर जगह के मक़ामी सांचा और टकसाल से ढल कर निकलती है वह तारीख़ी या मक़ामी असबाब और इनफेरादी मसालेह व अग़राज़ का नतीजा होती है। इसलिए हर मुल्क बल्कि इससे आगे बढ़ कर कभी–कभी एक एक सूबा और एक–एक शहर और घर–घर का दीन मुख़तलिफ़ हो जाता है।

इन्हीं बातों की बुन्याद पर अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने अपनी उम्मत को बिदअत से बचने और सुन्नत की हिफ़ाज़त की ताक़ीद फ़रमाई। आप सल्ल0 ने फ़रमायाः–

'जो हमारे दीन में कोई ऐसी नई बात पैदा करे जो उस में दाख़िल नहीं थी तो वह बात मुस्तरद है।

बिदअत से हमेशा बचो, इसलिए कि बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली होगी।

(मिशकातुल मसाबीह)

और आप सल्ल0 ने यह हकीमाना पेशगोई भी फ़रमाईः–

तर्जुमाः– *जब कुछ लोग दीन में कोई नई बात पैदा करते हैं तो उसके बराबर कोई सुन्नत ज़रूर उठ जाती है। (मुसनद इमाम अहमद)*

नबी सल्ल0 के वारिसीन और शरीअ़त के हामिलीन का बिदअ़तों के ख़िलाफ़ जेहादः–

सहाबाकिराम और उनके बाद इस्लाम के इमाम व फ़क़ीह और अपने–अपने समय के मुजद्दिदीन ने हमेशा अपने–अपने ज़माने की बिदअत की सख़्ती से मुख़ालिफ़त की और इस्लामी समाज में इन को फैलने से रोकने की जान तोड़ कोशिश की। इन बिदआत से अवाम और खुश अक़ीदा लोगों के जो ज़ाती फायदे जुड़े रहे हैं उनकी तस्वीर कुर्आन ने इस तरह खींची हैः–

शेष पृष्ठ .....16...पर..

मुस्लिम प्रस्नल लॉ बोर्ड और हमारी जिम्मेदारी

—हजरत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी

—हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

मिल्लते इस्लामिया (इस्लामी समुदाय) जिन देशों में बहुसंख्यक मात्रा में हैं वहां के दानिशवरों (बुद्धि जीवियों) को जनसाधारण स्तर पर कुछ बड़ी जिम्मेदारी अंजाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहां सारे दीनी काम आसानी से होते हैं परन्तु जिन देशों में मुसलमान अल्पसंख्यक होते हैं वहां के मुस्लिम दानिश्वरों को दीन के सामाजिक तथा व्यक्तिगत दीनी कामों के लिए बड़ी जिम्मेदारी अंजाम देना होती है और इसमें कोताही करने से मिल्ली सतह पर नुक्सान होता है। अर्थात दीनी कामों में रुकावट आती है अतः इस रुकावट को दूर करने के लिए अगर एक सम्मिलित प्लेटफार्म तैयार किया जाता है जैसा कि हमारे मुल्क में हमारी मिल्लते इस्लामिया ने किया है तो यह मिल्लत के लिए बड़ी भली बात है।

"आल इण्डिया मुस्लिम प्रस्नल लॉ बोर्ड" अब से 44 वर्षों पहले यहां के ऐसे हालात में स्थापित हुआ था जिन में मुसलमानों को अपने आइली क़वानीन (इस्लामिक उत्तराधिकारिता तथा निकाह व तलाक़ से सम्बन्धित नियमों) पर अमल करने के अधिकार को चैलेंज किया जा रहा था और यह चैलेंज देश के कुछ बहुसंख्यकों की ओर से किया जा रहा था अगर वह चैलेंज सफल हो जाता तो इस देश में मुसलमानों के लिए अपनी शरीअ़त पर चलने का रास्ता बन्द हो जाता और इस के परिणाम में जब मुसलमान अपने धर्म पर चलने से वंचित हो जाते तो उन का इस्लाम से सम्पर्क अविश्वसनीय हो जाता और यह दशा मुसलमानों के लिए स्वीकार करने योग्य न थी इस देश का संविधान सेक्यूलर रखा गया है, जिस में देश के हर धर्म वाले को अपने धर्म पर चलने का अधिकार दिया गया है।

मुसलमानों को भी यह अधिकार प्राप्त है अतः वह अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं और उसके विरोध मे हर चैलेंज का खण्डन कर सकते हैं, मुसलमानों ने अपने इस अधिकार की सुरक्षा के लिए यह बोर्ड स्थापित किया है यह एक बहुत ही लाभदायक और आवश्यक कार्य था यह बोर्ड इस देश में मुसलमानों के धार्मिक व्यक्तित्व जैसी मौलिक समस्याओं के समाधान के लिए उन का संयुक्त प्लेटफार्म बना और शरीअ़त की सुरक्षा के मार्ग में उस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह कार्य निरंतर जारी है। बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्य का अवसर उस समय आया जब बोर्ड की स्थापना के 12 वर्षों पश्चात आइली क़वानीन के एक मुकद्दमे में सुप्रिम कोर्ट ने शरीअ़ते इस्लामी के विरोध में एक फैसला दिया बोर्ड ने उस फैसले के बदलने के लिए संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक विधि से भरपूर प्रयास किया एक ओर पूरे देश में इस समस्या के महत्व को स्पष्ट करने के लिए पूरे देश के

मुसलमानों से सम्पर्क स्थापित किया और उस के दुष परिणाम से अवगत कराया तो दूसरी ओर शासन के उत्तरदायित्व को इस्लामी शरीअ़त की सुरक्षा की अनिवार्यता बताई अन्ततः बोर्ड ने पार्लियामेंट से इस समस्या का समाधान करा लिया इस सफलता से बोर्ड की गरिमा तथा उस का महत्व बहुत बढ़ गया और मुसलमानों को अपनी दीनी समस्याओं में बोर्ड अपना संयुक्त तथा उच्चतर प्रतिनिधि लगने लगा जो उन की इस्लामी शरीअ़त के मुआमलात में शासन और शासन के उत्तरदायित्यों में उचित प्रतिनिधत्व कर सकता है।

राजनैतिक पार्टियों तथा मीडिया द्वारा जब तब इस्लामी शरीअ़त पर समीक्षाएं आती रहती हैं और पाश्चात्य विधर्मी सभ्यता से प्रभावित लोगों की ओर से भी समय समय पर इस्लामी शरीअ़त में दोष निकालने की भी चेष्ठा की जाती रहती है पाश्चात धर्म विरोधी दृष्टिकोण वाले तथा पाश्चात भौतिक दृष्टिकोण से प्रभावित यह लोग इस्लामी शरीअ़त की मानवता प्रदान करने वाली शिक्षाओं का खुले मन से अध्ययन नहीं करते और केवल विरोधी मन से आपत्ति करने लगते हैं।

इस्लाम मानवता की सफलता तथा मानव कल्याण का धर्म है वह मनुष्य को उच्च स्थान प्रदान करता है और उसके लिए उच्च आचरण को पसन्द करता है अपितु आवश्यक समझता है, अल्लाह तआ़ला की ओर से मनुष्य को दूसरी सृष्टि से उत्तम बनाया गया है। और इसी दृष्टिकोंण से अनुकूल मानवता के लिए इस्लामी शरीअ़त में सम्मानित नियम नियुक्त किये हैं, खातिमुल अंबिया (अन्तिम नबी) हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी अपने हिज्जतुलवदाअ़ (विदाई हज) के भाषण में जो मुसलमानों के लिए आप की कियामत तक जारी रहने वाली हिदायात (निर्देश) थीं, उन में एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के बराबर कहा गया है और एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर उच्चता केवल नेकी (उपकार) के आधार पर बताया है आप ने कहा "तुम सब आदम की संतान हो और आदम मिट्टी से पैदा किये गये हैं, न किसी अरबी को किसी अ़जमी (जो अरबी न हो) पर कोई बड़ाई प्राप्त है, और न किसी अ़जमी को अरबी पर और न किसी गोरे को किसी काले पर और न किसी काले को गोरे पर सिवाय तक्वा और परहेज़गारी वाली जिन्दगी के अर्थात संयमी जीवन के"।

इस्लामिक शरीअ़त की उत्तमता को ग़ैर मुस्लिमों ने भी माना है मिसेज़ ऐनी बीसेन्ट हिन्दोस्तान में एक शैक्षणिक सुधार आन्दोलन की नेता और दक्षिणी हिन्द की एक सांस्कृतिक संस्था थ्योसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में भी भाग लिया था। वह अपनी पुस्तक "हिन्दोस्तान के अजीम मजाहिब" में इस्लामी समाज की उत्तमता बताते हुए लिखती हैं कि :–

पवित्र कुर्आन में है *"और जो कोई भले काम करेगा चाहे वह नर हो या नारी परन्तु*

ईमान रखता हो तो ऐसे सब लोग जन्नत में प्रवेश पायेंगे, और उन पर जरा भी अति न होगी''। (अन्निसाः 124)

पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शिक्षायें केवल साधारण नैतिक निर्देशों तक सीमित नहीं अपितु स्त्रियों की उत्तराधिकारिता का पूरा विधान पवित्र कुर्आन में विद्यमान है और वह विधान न्याय तथा उचित होने में मसीही विधान से कहीं उत्तम है जो अब से 20 साल पहले ब्रिटेन में लागू था इस्लाम ने स्त्रियों के लिए जो कानून बनाया है वह एक आदर्श विधान का स्थान रखता है इस कानून ने स्त्रियों के अधिकारों की सुरक्षा तथा मानवता की सीमा तक उन के सहयोग का जिम्मा लिया है। और उन के किसी ऐसे भाग पर जो वह अपने निकट सम्बन्धियों, भाईयों तथा पतियों से पाये उस में हर हस्तक्षेप के द्वार को बन्द कर दिया है''।

एक दूसरे स्थान पर लिखती हैं:– ''एक स्त्री तथा एक से अधिक स्त्रियों के शब्दों ने लोगों को भ्रष्ट कर दिया है परन्तु वह पश्चिम की उस स्त्री की दुर्दशा पर दृष्टि नहीं डालना चाहते जिस को उस के आरम्भिक लाभ उठाने वाले उस को सड़कों पर इस लिए छोड़ देते हैं कि उस से उन का जी भर गया और फिर उन की कोई मदद नहीं करता''।

(द लाइफ आफ मुहम्मद / ऐनी बीसेन्ट)

शरीअत में महत्व को समझते और मानते हुए आवश्यकता इस बात की भी है कि हम दूसरों को भी उसके महत्व से अवगत करायें कि इस्लामी शरीअत आस्मानी आदेश हैं अतः अनिवार्य है कि उस में बताये गये विश्वासों तथा उपास्नाओं के साथ पारिवारिक बातें जिन को प्रस्नल लॉ कहा जाता है उन के अतिरिक्त माली जिम्मेदारियों की भी जो हिदायात (निर्देश) दी गई हैं मुसलमान रहने के लिए उन सब को मानना अनिवार्य है, पवित्र कुर्आन में आया है:–

''सो कसम है तेरे रब की वह उस वक्त तक ईमान वाले न होंगे यहां तक कि तुझ को ही न्यायिक जानें उस झगड़े में जो उन के बीच पैदा हो फिर अपने मन में तेरे फैसले पर संकीर्णता न पायें और प्रसन्नता पूर्वक तेरे निर्णय को स्वीकार करें''।

(अन्निसाः 65)''

और दूसरे स्थान पर आया है:–

''और जो लोग उस विधान के अनुकूल फैसला न करें जो अल्लाह ने उतारा है तो ऐसे ही लोग विधर्मी (काफिर) हैं''। (अल माइदाः44)

अतः मुसलमान शरीअत के आदेशों में किसी परिवर्तन अथवा रुकावट को स्वीकार नहीं कर सकते यह उन की मौलिक धार्मिक बातें हैं और हिन्दोस्तानी संविधान में हर धर्म वाले को अपने धर्म पर चलने की अनुमति है।

इन सब बातों के साथ हम तमाम मुसलमानों को भी जो इस्लामी शरीअ़त को अल्लाह का आदेश मानते हुए उस पर ईमान रखते हैं उन का ध्यान हम इस ओर अवश्य लाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों का चरित्र

इस्लामी शरीअत के अनुकूल होना चाहिए यह उन के ईमान की मांग है इस से एक ओर यह सिद्ध होगा कि हम इस्लामी शरीअत पर चलने को अनिवार्य समझते हैं और दूसरी ओर उन आदेशों पर चलने से हमारे समाज में जो सुधार आयेगा और जो खूबी पैदा होगी वह हमारी उम्मत के लोगों के लिए अच्छा आदर्श होगा जो हमारे दीन की उत्तमता को स्पष्ट करेगा।

सामाजिक जीवन में सब से महत्वपूर्ण बात जो लोगों को अत्यधिक अपनी ओर आकृष्ट कर रही है वह दाम्पत्य जीवन की समस्याएं तथा मानव वंशज के विषय में आधुनिक नागरिकता के विचार हैं। दाम्पत्य जीवन के नियम तथा अधिकार के विषय में इस्लामी शरीअत में बहुत ही सुदृढ़ तथा स्पष्ट आदेश दिये हैं उन हिदायात के होते हुए यदि कुछ बातें परेशानी का कारण बनती हैं तो वह अधिकांश शरीअत के आदेशों की उपेक्षा करने अथवा उन से अवगत न होने के कारण होती हैं। एवं वातावरण के विकृत परिस्थिति में ग्रस्त हो जाने के कारण भी होती हैं। यदी शरीअत के स्पष्ट आदेशों पर चला जाये तो यह बातें न पैदा हों।

तलाक़ के विषय में कुछ दिनों से जो बातें कही जाने लगी हैं वह शरीअत के पथ प्रदर्शन को न जानने या उसकी अनदेखी करने के कारण कही जाती हैं। अल्लाह तआला ने जो औरतों और मर्दों के अन्दरून (आन्तरिक) तथा बैरून (वाह्य) की बनावट से जो अंतर रखा है उस अन्तर के अनुकूल दोनों के लिए आदेशों में भी अंतर रखा है दोनों के बीच जो अंतर है वह प्राकृतिक है उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती, सम्मान तथा आदर में दोनों को समान स्थान दिया गया है। सामाजिक व्यवहार के अंतर को ध्यान में रखते हुए तथा जीवन प्रबन्ध चलाने में जो अंतर रखा गया है उस अंतर को निभाना आवश्यक है।

❖❖❖

दीने इस्लाम .....

तर्जुमाः– *"ऐ ईमान वालो! अक्सर अहबार व रोहबान लोगों के माल नामशरू तरीक़े से खाते हैं, और अल्लाह की राह से बाज़ रखते हैं। (सूरः तौबा–34)*

इसकी बिना पर उन को सख़्त मुख़ालिफ़तों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और इसको अपने समय का जेहाद समझा। और उनकी कोशिशों से बहुत सी बिदआत का इस तरह खातमा हुआ कि उनका सिर्फ़ ज़िक्र रह गया और जो बाक़ी हैं उनके ख़िलाफ़ उल्माये हक़्क़ानी अब भी सफ़आरा हैं।

तर्जुमाः– *"उन मोमिनीन में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने जिस बात का अल्लाह से अहद किया था उसमें सच्चे निकले, फिर कुछ तो उनमें वह हैं, जो अपनी नज़र पूरी कर चुके, और कुछ उनमें मुश्ताक़ हैं, और उन्होंने ज़रा हेर–फेर नहीं किया।"*

(सूरः अहज़ाब–23)।

❖❖❖

प्रकृति की आवाज़

—मौलाना मुहम्मद इसहाक़ सन्दीलवी रह0

तरक़्क़ी के इस औद्योगिक काल में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी सफर न किया हो और अगर ऐसा कोई मजबूर निकल भी आये तो ऐसा तो कोई भी न होगा जिस ने किसी को सफ़र करते न देखा हो और जो यह भी न जानता हो कि सफ़र है क्या चीज़? बहर हाल सफ़र एक जानी बूझी चीज़ है, मैं ऐसी गुसताखी नहीं कर सकता कि आप से पूछूं कि आप सफ़र का अर्थ जानते हैं या नहीं? लेकिन अपनी गुफ़तगू (वार्तालाप) की प्रस्तावना के तौर पर इतना पूछना चाहता हूं कि जब आप किसी को सफ़र करते हुए देखते हैं तो आपके ज़ेहन में यह सवाल पैदा होता है या नहीं कि यह मुसाफ़िर कहा जा रहा है? मुमकिन है कि आप को किसी वक़्त उसकी तरफ़ ध्यान न हो और मुसाफ़िर व सफ़र दोनों से आप बेखबर रहें लेकिन जब आप सफ़र का इरादा करेंगे तो ज़रूर "कहां" का सवाल आप के दिमाग़ में पैदा होगा।

यह तो थी सवाल की प्रस्तावना, अब ज़रा देर के लिए कल्पना की मदद से ऐसे व्यक्ति के पास चलिए जो एक बड़े सफ़र की तैयारी में लगा है और शायद कुछ मिनट बाद आप उस को न पा सकें, मुसाफ़िर चारपाई पर पड़ा हुआ है और ऐसा एहसास होता है कि सफ़र की तकान से चूर हो रहा है मनज़िल की सख़्ती ने उम्र भर के साथियों को बेवफ़ाई पर आमादा कर दिया है, वह देखिये उसका दिल थक कर बैठा जा रहा है, आखें जवाब दे रही हैं ज़बान ख़ामोश है, नब्ज़ साथ छोड़ रही है, सांस जैसा साथी राहे वफ़ा में ठोकरें खा रहा है, कुछ हिचकियां अल्वदा कहने आईं और वापस हो गईं, लीजिए मुसाफ़िर रवाना हो गया।

मनोविज्ञानिक पहेलियों में शायद सबसे मुश्किल पहेली यही है कि इन्सान हर सफ़र के अवसर पर पूछता है कि कहां जाओगे, मनज़िले मकसूद क्या है? लेकिन वह सफ़र जो हर वक़्त और हर लमहा जारी है और दुन्या के हर आदमी को पेश आने वाला है उसके बारे में अकसर लोगों के ज़ेहन में यह सवाल नहीं पैदा होता है।

हम बराबर देखते रहते हैं कि इस सफ़र पर कसरत से मुसाफ़िर रवाना होते रहते हैं जिसकी इस दुन्या में वापसी की कोई उम्मीद नहीं रह जाती, मैंने नामालूम अपने कितने अज़ीज़ों और दोस्तों को क़बर या चिता तक पहुंचाया है, हम यक़ीनी तौर पर जानते हैं कि हमें भी इस रास्ते पर रवाना होना है, लेकिन तअज्जुब है कि इस सफ़र से मुतअल्लिक़ (संबंधित) "कहां" का सवाल हमारे दिल में नहीं पैदा होता है।

क्या इस मनज़िल के बाद फ़ना और मुकम्मल फ़ना है? अगर ऐसा है तो इन्सान बड़ा बदनसीब है, क्या साठ सत्तर साल की उम्र पाने वाले इन्सान से वह दरख़्त और वह जानवर बेहतर नहीं जिन की उमरों

का हिसाब बरसों के बजाये सदियों से लगाया जाता है? वह इन्सान जिसके दम से दुन्या की रौनक़ है अगर वह न हो तो इस आलम पर वहशत बरसने लगे, चाँद, सूरज, हवा, पानी हर चीज़ जिस की ख़िदमत गुज़ारी के लिए हैं क्या उसका अनजाम यही है कि इस दुन्या के माहौल में थोड़ी सांसे लेकर हमेशा के लिए फ़ना हो जाये? पानी का कमज़ोर बुलबुला भी जब अपनी क्षण भर जिन्दगी को "अलवदा" कहता है तो दरिया बन जाता है, क्या इन्सान इससे भी कमतर दरजा रखता है जो मौत के बाद कुछ पाने के बजाये अपने वजूद का सरमाया भी खो देता है?

दुन्या के इस अजाएब ख़ाने (विचित्रालय) में शायद इन्सान के दिल व दिमाग़ से ज़ियादा अजीब कोई चीज़ नहीं है, उनमें से इन्सानी तरक़्क़ियों के चश्मे फूटते हैं, इच्छाओं, लज़्ज़तों आविष्कारों का अनगिनत भण्डार उनमें पाया जाता है, क्या इन्सान अपने संक्षिप्त जीवन में उन सबको प्राप्त कर सकता है? क्या यह सीमित दुन्या और यह संक्षिप्त आयु उसके पाने के लिए काफ़ी हो सकती है?

बिना अन्तर हर इन्सान के दिल में एक क़ब्रिस्तान का होना ज़रूरी है जिसमें अनगिनत तमन्नाएं (अभिलाषाएं) इच्छाएं, नाकामी की मिट्टी में दबी हुई मिलती हैं, क्या दुन्या के पैदा करने वाले ने यह तमन्नाएं, ख़वाहिशें, फ़िकरें इसीलिए पैदा की थीं? वह बेज़बान जानवर तो इन्सान से बहुत अच्छे हैं जिनकी इच्छाओं और तरक़्क़ियों का दायरा सीमित है और वह इस दुन्या से नाकामी व हसरत का दाग़ लेकर नहीं जाते।

कौन चाहता है कि मर जाये? हर व्यक्ति यह चाहता है कि उस का जीवन भी समाप्त न हो, यह ख़वाहिश प्रकृति की आवाज़ है या नहीं? क्या इन्सानी प्रकृति कार्य भ्रष्ट, अविवेक और पर वंचित है कि ऐसी चीज़ की ख़वाहिश रखती है जो असम्भव है? वह फ़ितरत जिसका निर्णय (फैसला) पेचीदा से पेचीदा मआमलात में आखिरी और सही तरीन फैसला समझा जाता है, जिसकी ताईद के बग़ैर (बिना समर्थन) दुन्या का कोई क़ानून लागू नहीं हो सकता और न क़ानून कहा जा सकता है जिसके सामने इन्सान की सबसे बड़ी ताक़त यानी अक़्ल व दानिश (बुद्धि व ज्ञान) भी सर झुका देती है जो ख़ुद ही सच्ची नहीं है बल्कि झूट सच के परखने की कसौटी भी है क्या वह ऐसी खुली गलती कर सकती है? क्या वह हमें धोखा देती है? क्या वह अंधी है जो प्रतिदिन हज़ारों चलते फिरते इन्सानों को ख़ाक में मिलता हुआ नहीं देखती है? क्या वह बहरी है जो लाखों यतीमों और बेवाओं की दिल गुदाज़ आह व ज़ारी नहीं सुन सकती अगर वह ऐसी ही कार्य भ्रष्ट और भ्रष्ट चिंतन है तो सियाही सफ़ेदी रोशनी और अंधेरा एक साथ इकट्ठा करने की या इसी प्रकार की अन्य असंभव चीज़ों की इच्छा क्यों नहीं रखती है?

अगर मौत फना का नाम नहीं और इन्सान मरने के बाद भी जिन्दा रहता है तो क्या वह इसी दुन्या के किसी कोने में चला जाता है? अगर ऐसा है तो इन्सान

की बद नसीबी में कोई कमी नहीं होती, यह दुन्या जिसमें फूलों की सेज भी तकलीफ़ के कांटों से खाली नहीं होती जिस में दिन रात परेशानियों का हुजूम है, जिस में खुद चैन व आराम भी आराम से महरूम (वंचित) है, जिसके कांटे जिगर को छलनी करते हैं, फूल उन पर हंस हंस कर नमक पाशी करते हैं, जिसकी बहार ख़िज़ा का पैग़ाम, जिसमें किसी समय न राहत है न आराम, क्या ऐसी मुसीबतों से भरी दुन्या में फिर आना है?

यह छोटी सी दुन्या जिस पर अगर एक इन्सान की कूवतों, खवाहिशों और तमन्नाओं को फैलाया जाये तो यह तंग हो जाये और उसकी उसअत (फैलाव) का साथ न दे सके इन करोणों, अरबों इन्सानों के लिए यह दुन्या किस तरह तरक़्क़ी का मैदान बन सकती है?

इन्सानी प्रकृति हमेशा बाक़ी रहना चाहती है, मगर वह ऐसी ज़िन्दगी चाहती है जहां आराम व राहत का रौशन सूरज हर समय निकला रहे और मुसीबतों की रात उसे कभी न छुपा सके, वह ऐसी बहार चाहती है जिसमें पतझड़ का कोई असर न हो वह ऐसा फूल चाहती है जिसके साथ कोई कांटा न हो, अगर यह नामुमकिन है तो क्या उसकी यह ख़वाहिश नहीं है, क्या वह हम को फरेब धोखा देती है? क्या यह संभव है कि इन्सानी प्रकृति इतनी बड़ी ग़लती करे?

जिस मालिक ने इन्सान और उसकी प्रकृति को पैदा किया है, जिसने ज़िन्दगी और मौत को बनाया, उसी के इशारों से प्रकृति ने समझ लिया है कि मौत के उसपार भी कुछ है, उसकी बेचैनी और शौक़ ने अक़्ल को भी तजससुस (जिज्ञासा) पर आमादा कर दिया मगर पर्दा उठा कर उस पार दूरबीन से कोई भी न देख सका, प्रकृति ने ख़वाहिश करके बता दिया कि कुछ है, अक़्ल ने बहुत कोशिशें की तो इतना मालूम कर लिया कि मौत के बाद कोई दूसरा जहान (लोक) है मगर तफ़सील (विवरण) किसी ने नहीं बताया और अनदेखे कोई बता भी कैसे सकता है, फ़ितरत (प्रकृति) का इल्म पुख़ता है मगर बहुत कम है, अक़्ल की पहुंच जियादा है मगर वह भी उस जगह तक जा सकती है जहां तक हवास जा सकते हैं, मौत के बाद का जहान जो उसकी पहुंच से बाहर है ऐसी हालत में अक़्ल उसकी तफ़सील कैसे जान सकती है।

ज़माने के माथे पर एक सुनहरी लकीर नज़र आती है, यह इस क़दर रौशन और चमकदार है कि इतिहास के समस्त चिन्ह उसके सामने मांद पड़ गये हैं, यह सत्यवादियों की एक श्रृंखला है जिनमें से हर एक दूसरों को सच्चा कहता आया है, उनकी सही संख्या तो हम को मालूम नहीं है लेकिन इतना मालूम है कि हज़ारों से ज़ियादा थे, उनमें बहुत ऐसे हैं जिनके नाम हम को मालूम हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनके नाम से हम परिचित नहीं हैं, यह लोग दुन्या के हर देश और हर क़ौम में हुए, उनका सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरु होता है और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम पर ख़त्म होता है। बहुत से लोगों ने उनका अनुसरण किया और बहुतों ने उनका विरोध किया, लेकिन उनके बड़े से बड़े विरोधियों ने भी उनके चरित्र की बुलन्दी और उनके ज्ञान की पुष्टि की है, बड़े बड़े फ़लसफ़ी और बुद्धिमान लोग उनकी दानाई (बुद्धिमत्ता) और अकलमन्दी का लोहा मानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि यह लोग दुन्या के उत्तम बुद्धिमान थे, इसी प्रकार दुन्या के उच्च आचरण रखने वाले व्यक्तियों ने यह मान लिया है कि यह सम्मानित लोग आचरण और चरित्र के एतिबार से इन्सानियत की उच्चतम चोटी पर थे, इन लोगों को अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम से नामित किया जाता है।

अल्लाह तआला ने उनको ख़ास रौशनी अता फ़रमाई थी जो आम इन्सानों के पास नहीं होती, उस रौशनी के जरिए उन्होंने मौत के पर्दे के उस पार भी देखा था, उन्होंने अपने निरीक्षण से वहां की जो कैफ़ियत बयान की है उसको संक्षिप्त में हम बताते हैं। उन्होंने सहमति पूर्वक कहा है कि मौत के उस पार एक दूसरा आलम है, मौत गोया एक पुल है जिस पर से गुज़र कर इन्सान एक जहान से दूसरे जहान में पहुंच जाता है, दुन्या की ज़िन्दगी वास्तव में उसी जहां की ओर सफ़र करने का दूसरा नाम है, मौत की मनज़िल इस दुन्या की आख़िरी मनज़िल है जिस पर जिन्दगी भी साथ छोड़ देती है और वही उस आलम की वह पहली मनज़िल है जहां से दूसरी ज़िन्दगी इन्सान की रफ़ाक़त करती है, और उस आलम के दो हिस्से हैं, एक में सख़्त तकलीफ़ और मुसीबत और दूसरे में इनतिहाई राहत व आसाइश, दो राहे में एक हद तक पहुंचना इस राह पर निर्धारित है जिस पर इन्सान अपनी ज़िन्दगी को चलाता है, अगर वह ख़ुदा तआला के हुकमों की पाबन्दी और उसकी रज़ाजोई (प्रसन्नता प्राप्त) नेकोकारी (सदाचारी) और ईमानदारी या संक्षिप्त शब्दों में अइंबिया और अल्लाह के नेक बन्दों का रास्ता अपनाता है तो मौत की मनज़िल के बाद ऐसे आराम व आसाइश की जगह में पहुंचता है जिसमें रंज व तकलीफ़ का ज़रा भी कंण नहीं है और अगर वह अल्लाह की नाफ़रमानी करता है और बदकारी और गुनाह के रास्ते पर चलता है या संक्षिप्त शब्दों मे नबियों का रास्ता छोड़ कर गुमराहों का रास्ता अपनाता है तो उस मनज़िल के बाद ऐसी मुसीबत की जगह पहुंचता है जिसकी कठिनाई का ख्याल भी बयान से बाहर है, दोनों ठिकाने इन्सान के लिए दाइमी हैं, और दोनों में से एक का इख़्तियार करना इन्सान के इख़्तियार में है। मौत की मनज़िल के बाद तो उसी जगह रहना पड़ेगा जहां मौत की मनज़िल ने पहुंचा दिया है।

❖❖❖

मुल्कों का मालिक अल्लाह है, वह जिसे चाहता है मुल्क की हुकूमत देता है और जिस से चाहता है मुल्क की हुकूमत ले लेता है, वह क़ादिरे मुतलक है।

कामन सिविल कोड:

शरीअत, कानून और क़ौमी मस्लहतों की रौशनी में

—हिन्दी अनुवादः जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी —मौ0 खालिद सैफुल्लाह रहमानी

हिन्दुस्तान में जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी था और हिन्दुस्तान के तमाम नागरिक उस विदेशी दुशमन के खिलाफ मजबूत दीवार बने हुए थे उस समय विभिन्न विचार धाराओं, सभ्यताओं कौमी फायदों, जबान व नस्ल, और भौगोलिक भिन्नताओं के बावजूद जो चीज उनको मजबूत दीवार की तरह एकता की लड़ी में पिरोये हुए थी वह यही कल्पना थी कि आजादी के बाद यह मुल्क सेक्यूलिरिज्म की राह पर चलेगा, हर धर्म, हर सभ्यता और हर वर्ग से तअल्लुक रखने वालों को अपनी निजी ज़िन्दगी में आजादी हासिल होगी, मुसलमान जो मजहबी एतिबार से जियादा गैरतमंद पैदा हुए हैं मुम्किन न था कि वह इस यकीन दहानी के बगैर इस विद्रोह में शामिल होते, आजादी से पहले हमेशा कौमी लीडरान मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहफ्फुज़ और उसमें हस्तक्षेप न करने का यकीन दिलाते रहे, महात्मा गांधी जी ने खुद भी "गोल मेज़ कान्फ्रेंस" लनदन 1931 में पूरे वजाहत के साथ कहा थाः मुस्लिम पर्सनल ला को किसी भी कानून के जरिए छेड़ा नहीं जायेगा, जंगे आजादी के सालार मौलाना अबुल कलाम आजाद रह0 ने फरमायाः न तो कांग्रेस ही का यह उद्देश्य है और न ही मुसलमान इस मकसद से क़यामत तक मत्तफिक हो सकते हैं कि हिन्दुस्तान से मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम सभ्यता और मुस्लिम विशेषतायें खत्म हो जायें और वह हिन्दुस्तान की कामन राष्ट्रीयता में सम्मिलित हो कर जर्मन या अंग्रेज क़ौम की तहर हिन्दुस्तानी कौम के अलावा कुछ न रहें।

1937 में हरीपुर में कांग्रेस ने एलान कियाः बहुसंख्यक की ओर से मुस्लिम पर्सनल ला में किसी प्रकार की तबदीली नहीं की जायेगी और 1938 में "शरीयत एप्लीकेशन कानून" पास हुआ, जिसने जियादा स्पष्टता के साथ मुस्लिम पर्सनल ला को कानून का हिस्सा बना दिया, फिर आजादी मिलने के बाद जब हिन्दुस्तान का विधान बना तो कानून के सब से अहम भाग बुन्यादी हुकूक (मूल अधिकार) की सूची में ऐसी धारायें भी रखी गयीं जिन से मुस्लिम पर्सनल ला" की हिफाजत होती है हिन्दुस्तान के विधान की धारा 25 में मजहबी क़वानीन के सुरक्षा की जमानत दी गयी है, चुनांचे धारा 25 का अनुवाद निम्नलिखत हैः

धारा 25/1 पब्लिक आर्डर, सभ्यता, सेहत तथा भाग 3 में दी हुई दीगर धाराओं के अंतर्गत हर नागरिक को मजहबी अक़ाइद पर बाकी रहने उस पर अमल करने और उसके प्रचार प्रसार की इजाज़त होगी।

धारा 25 में दी गयी मज़हबी मामलों की इस जमानत से मजहबी रीत

रिवाज और हिन्दुओं में अछूतों के साथ भेद भाव के बरताव को अलग करने के मकसद से दो और वजाहती धारायें बढ़ा दी गयीं, जो निम्नलिखत हैं:

धारा 25/2/2 सामाजिक रिफार्म की खातिर अवामी हिन्दू संस्थाओं के दरवाजे तमाम हिन्दुओं के लिए खोलने के सिलसिले में पहल करना।

इससे मालूम हुआ कि मजहबी मामलों में हुकूमत बिल्कुल दखल न देगी, अतः इससे सिर्फ यह सूरत अलग है कि कोई चीज हकीकतन मजहबी होने के बजाय किसी मजहब से तअल्लुक रखने वालों के मध्य एक रस्म के तौर पर फैली हुई है, अर्थात जहेज़, तिलक आदि, इसमें हुकूमत मुदाखलत कर के जुल्म की रोकथाम कर सकेगी, दूसरेः अछूतों के सिलसिले में जो भेद भाव का बरताव किया जाता है उस पर रोक लगाई जा सकेगी, और वह मजहब में हस्तक्षेप न समझा जायेगा।

फिर इन "मूल अधिकारों" में फेर बदल को रोकने के लिए धारा 13/2 में यह बात साफ कर दी गयी है कि हुकूमत कोई ऐसा विधान नहीं बना सकती जो भाग 3 में दिये हुए बुन्यादी हुकूक के खिलाफ हो, या उस में कमी करे, इस प्रकार मुस्लिम पर्सनल ला का तहफ्फुज (जिस का तअल्लुक मुसलमानों के रस्मो रिवाज से नहीं बल्कि उन के अकीदों और इस्लामी शिक्षाओं के मूल स्तम्भ, कुर्आन व हदीस शरीफ से है) न केवल मुसलमानों का मूल अधिकार घोसित किया गया बल्कि उसमें रद्दो बदल की गुंजाइश को खत्म कर दिया।

इस मूल अधिकार के साथ देश के लिए जो "रहनुमा उसूल" बनाये गये उसकी धारा 44 इस प्रकार रखी गयी है "रियासत कोशिश करेगी कि पूरे देश में नागरिकों के लिए कामन नागरिक कानून हो" वास्तव में यह धारा, धारा 25 से टकराती है, धारा 25 की इच्छा है कि हर मजहब के मानने वालों के लिए उनके मजहब के मुताबिक संविधान हों जब कि यह धारा सब को यूनिफार्म सिविल कोड पर अमल की ओर अग्रसर करने वाली है इस का स्पष्ट मतलब है कि हुकूमत कभी भी मुस्लिम पर्सनल ला या किसी दूसरे मजहबी पर्सनल ला पर हाथ डाल सकती है।

चुनांचि इस धारा के खिलाफ अनेकों मुस्लिम सांसदों ने जिस में खास तौर पर जनाब मो0 इस्माईल सा0 जनाब बी पोकर, जनाब नजीरुद्दीन अहमद और जनाब महबूब अली बेग ने इस पर आपत्ति की और इस से मुस्लिम पर्सनल ला को अलग रखने का मुतालबा किया, जनाब नजीरुद्दन साहब ने कहा अंग्रेज 175 वर्ष में जो न कर सके, या जिसके करने से घबराते रहे, इसी प्रकार मुसलमानों ने 500 वर्ष के दौरे हुकूमत में जो कुछ करने की हिम्मत नहीं की, हमें राज्यों को इतना पावर नहीं देना चाहिए कि वह सब कुछ जब चाहें कर गुज़रें, मगर डॉ0 अम्बेडकर ने मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए सिर्फ इतना कहा "कोई हुकूमत अपने अधिकारों को इस प्रकार इस्तेमाल कर के मुसलमानों

को बगावत पर आमादा नहीं कर सकती, मेरे ख्याल में अगर सिकी ने ऐसा किया तो ऐसी हुकूमत पागल ही होगी, मगर यह मामला अधिकारों के प्रयोग का है न कि खुद ब खुद अधिकारों का, मूल अधिकारों की यही धारा है जिस के उदर में "कामन सिविल कोड" का फितना फूटा है और जिसके लिए आवाजें थोड़े थोड़े दिनों के बाद उठती रहती है।

कानून की इन दोनों धाराओं में टकराव इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि धारा 44 का तअल्लुक मजहबी विधानों से जोड़ा जा रहा है, हालांकि इस का तअल्लुक धारा 25 के उस भाग से था जिस में कहा गया है कि "मजहबी रूसूम" जिन का मजहब में कोई मूल आधार न हो, हुकूमत की हस्तक्षेप से आजाद न होंगे, अर्थात गैर मजहबी कार्यों में राज्यों को धारा 44 के आधार पर "कामन सिविल कोड" का अधिकार दिया गया था, चुनांचि मुम्बई हाई कोर्ट की बेंच ने जो जनाब अब्दुल करीम छागला और जनाब गजेंदर गदकर पर सम्मिलित थी वाद बनाम तारा सवामा याली में धारा 44 के सीमाओं पर स्पष्ट फैसला दिया था उसका एक उद्धाहरण निम्नलिखित है मजहबी रीत रिवाज, पब्लिक आर्डर, अखलाकियात, उमूमी स्वास्थ, अथवा समाजी तरक्की के खिलाफ हो तो ऐसे रिवाजों को समाजी फायदे के उद्देश्य से छोड़ा जा सकता है।

इससे मालूम हुआ कि समाजी फायदे (जिसमें कामन सिविल कोड को दाखिल किया जा रहा है) को जिस चीज पर बरतरी हासिल है वह मजहबी रूसूम व रिवाज हैं न कि मजहबी आस्थायें और मजहबी आस्थाओं के स्रोत से निकलने वाले कवानीनः

और अगर यह मान भी लिया जाय कि मूल विधान की धारा 44 का तअल्लुक मजहबी विधानों से भी है और उसके वास्ते राज्यों को मजहबी मामलों में भी कामन सिविल कोड के लागू करने का अधिकार दिया गया है तो भी "मुस्लिम पर्सनल ला का कानूनी दृष्टिकोण काफी मजबूत रहता है इसलिए कि मूल अधिकारों की हैसियत विधान के प्राण और बुन्याद की है, जब कि पथ प्रदर्शन के नियम की हैसियत सिर्फ एक अखलाकी हिदायत की है, मूल अधिकारों की इस अहमियत को अधिकांश माहिरीने कानून के अलावा मुल्क के उच्च नेताओं ने भी तस्लीम किया है, चुनांचे जवाहर लाल नेहरू, भूतपूर्व प्रधान मंत्री इण्डिया ने "मूल अधिकारों" की रिपोर्ट पर बयान देते हुए कहा मूल अधिकार को किसी सामयिक परेशानी के अधीन न देखना चाहिए, बल्कि इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि आप उसे संविधान में स्थाई मकाम दे रहे हैं। मूल अधिकारों के अलावा दूसरे कार्यों को चाहे वह कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हों, इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि वह अस्थाई हैं।

इस लिए अगर इन दोनों धाराओं के मध्य टकराव मान लिया जाये तो भी मुस्लिम पर्सनल ला की हिफाजत का तअल्लुक चूंकि "मूल अधिकार" से है इसलिए वह पहले है और श्रेष्ठता योग्य है।

अब इस पृष्ठभूमि में ला कमीशन के प्रश्न पत्र पर ध्यान दीजिए जिस का उद्देश्य कामन सिविल कोड के लिए रास्ता निकालना है, इस प्रश्न पत्र का लेख खुद ला कमीशन की बद दियानती को दर्शाता है और वह कहता है कि कामन सिविल कोड के हक में जवाब दिया जाय, स्पष्ट है कि यह सब कुछ हुकूमत के इशारे पर हो रहा है, हुकूमत के अल्पसंख्यकों के प्रति दुशमनी के भावनाओं का इजहार तो खुद उस बयान से हो गया जो उसने तीन तलाक और एक से जियादा शादी के मसले पर कुछ दिनों पूर्व सुप्रिम कोर्ट में दाखिल किया है, जो हुकूमत बहुसंख्यक के मजहबी आस्थाओं की इस कद्र बढ़ावा दे रही है कि लोगों को गाय का मूत्र पिलाने और गोबर खिलाने के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर तैयार है और इस पर पूरी दुन्या भारत का मजाक उड़ा रही है लेकिन मुसलमानों की मजहबी पहचान उनकी आंखों में चुभ रही है।

हमारे देश में अदालतों के भी कुछ भागों का यह हाल है कि वह अपनी सोच अपनी भावनाओं और समाजी जिन्दगी से मुतअल्लिक अपने कल्पनाओं को कानून पर प्राथमिकता देने लगे हैं, इसी का परिणाम है कि कभी कभी न्यायालय स्वयं तलाक और एक से जियादा शादी के प्रश्न को उठाती हैं, कभी तलाक शुदा के खर्च के प्रश्न की और बार बार हुकूमत को कामन सिविल कोड के प्रति याद दिलाती हैं जब कि न्याय पालिकाओं की रहनुमाई और दिशा निर्देश अनेकों मामलात में बेहद जरूरी है, उदाहरणार्थ वह मुस्लिम औरतों की अपमानिता के मामले को उठाये और हुकूमत को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाये, तलाक शुदा से जियादा परेशान कुन हाल विधवाओं और अनाथ बच्चों की होती है, क्या ही अच्छा हो अगर न्यायालय फसादात मे विधवा और अनाथ हो जाने वाले सैकड़ों, बल्कि हजारों औरतों और बच्चों के प्रति सरकार को उनकी जिम्मेदारी याद दिलायेऔर अपराधियों के विरुद्ध कदम उठाये, मुस्लिम औरतों के पिछड़ेपन का अस्ल सबब तलाक़ नहीं, बल्कि मुसलमानों की बेरोज़गारी है न्यायालय इस पीड़ित वर्ग को रोजगार के अवसर दिलाये, औरतों के लिए सब से तकलीफ की बात उनके पतियों और घर के परिवारजनों के नशे का आदी होने से होती है और देश के संविधान के मूल सिद्धान्तों में यह बात भी मौजूद है कि देश में पूर्णतः नशाबन्दी होनी चाहिए, लेकिन इस के बारे में न सरकार सोचती है, न न्यायालय दिशा निर्देश देता है, न विद्वानों में कोई सोच पैदा होती है, अगरचि तलाक की घटनाओं का होना बहुत ही बुरी बात है, लेकिन मुस्लिम समाज में इस का अनुपात हिन्दुओं से कम है, और बहुत सी तलाकें बीवी के मुतालबे या उसकी सहमति से होती है और अधिकतर ऐसी स्थिति में औरत तलाक के बाद बेसहारा नहीं होती, उसके मां बाप, बेटे, बेटियों और भाई बहन उसका पालन पोषण करते हैं, इस के बावजूद घूम फिर कर कामन सिविल कोड ही गरमा गरमा बहस का विषय बन जाता है। जारी..... ◆◇◆

तलाक़ इस्लाम का आदलाना निज़ाम

–मौलाना बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी

–हिन्दी लिपिः राशिदा नूरी

बिला शुब्ह निकाह का बंधन बड़ा मज़बूत होता है पूरी ज़िन्दगी के लिए वह एक अ़हदो पैमान है लेकिन बाज़ मरहले ऐसे भी आते हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए दोनों ही शिद्दत के साथ महसूस करते हैं उनमें से कोई एक दूसरे के साथ गुज़ारा नहीं कर पाता, इसके मुख़्तलिफ असबाब हो सकते हैं, लेकिन बाज़ मरतबा सूरते हाल ऐसी बन जाती है कि जान लेना या जान देना आसान मामूल हो जाता है लेकिन साथ निभाना ना मुम्किन हो जाता है इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है कि अलाहेदगी की भी कोई मुनासिब और शरीफाना शक्ल मौजूद हो इस्लाम ने इस ज़रूरत के लिए तलाक़ को मशरूअ़ किया लेकिन इसकी ऐसी हकीमाना तरतीब रखी कि उससे बेहतर का तसव्वुर मुश्किल है दूसरे मज़ाहिब में अव्वल तो निकाह के बाद अलाहेदगी का तसव्वुर नहीं है और है भी तो उसकी ज़रूरी तफ़सीलात नहीं हैं जो इस्लाम में पाई जाती हैं और मौजूदा मग़रिबी तहज़ीब ने तो निकाह ही के तसव्वुर पर ज़र्ब लगाई है और औरत को सिर्फ ख़्वाहिश पूरी करने का ज़रिआ़ समझ लिया है–

एक मग़रिब ज़दह मुलाज़िमत के सिलसिले में दूसरे मुल्क गया, वापसी में लोगों ने उससे कहा कि तुम्हारी बीवी का पता नहीं है किसी के साथ चली गयी उसने कहा एक बस छूट जाये तो दूसरी बस पे सवार हो जाओ, इस वाक़िये से मर्द और औरत दोनों की ज़हनीयत का अन्दाजह किया जा सकता है वाक़िया ये है कि यूरोप का सर रिशता मज़हब से छूट चुका है मज़हबी तसव्वुरात की अहमीयत उनके नज़दीक सिर्फ मजहबी बाब की रह गयी है और बस लेकिन जो मज़ाहिब मौजूद हैं उनकी शक्ल जो कुछ भी हो उनमें से अक्सर के यहां तलाक़ का तसव्वुर नहीं है और है तो बहुत मुजमल सा, हिन्दुओं में तो सात फेरों के बाद औरत की क़िस्मत मर्द के साथ इस तरह वाबस्ता कर दी जाती है कि अगर वह मर जाये तो औरत के लिए भी उसकी चिता में जल कर ख़ाक हो जाना उसके पाक होने की दलील है और दसयों ऐसे वाक़िआ़त अख़्बार की ज़ीनत बनते हैं जिनमें औरतों से पीछा छुड़ाने के लिए उनको जला कर मार डालने का तज़किरह होता है।

मियाँ–बीवी में कभी कभार अलाहेदगी की जो ज़रूरत पेश आती है उसकी तकमील के लिए इस्लाम ने तलाक़ को मशरूअ़ किया है, लेकिन हदीस में साफ साफ कहा गया है "(अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे ज़ियादा ना पसंदीदा चीज़ तलाक़ है)। मियाँ–बीवी के दरमियान अलगाव को बहुत ही ना पसंदीदा अमल करार दिया गया है, इब्लीस रोज़ाना जब अपने कारिन्दे की कारकरदगी जानने के लिए समन्दर पर

अपना तख़्त लगाता है और शयातीन आ कर अपने अपने कारनामे सुनाते हैं तो इब्लीस किसी की कारकरदगी से उतना खुश नहीं होता जितना उस शैतान से खुश होता है जो मियाँ–बीवी में अलाहेदगी करा दे, हदीस में आता है कि वह उस शैतान के लिए खड़ा हो जाता है और उसको चिमटा लेता है। अल्फाज़ हदीस ये हैं।

(सही मुस्लिम–7284)

तो वह उसको करीब करता है और कहता है तू क्या ही अच्छा साथी है।

कुर्आन व हदीस की तालीमात बताती हैं कि अगर मियाँ–बीवी में इस तरह की नाचाक़ी पैदा हो तो पहले खुद ही दोनों मसअ़ले को हल करने की कोशिश करें और अपनी अपनी ग़लती पर ठण्डे दिल से सोचें, और अगर बराहे रास्त ये मुमकिन न हो तो खानदान के साहबे फहम और साहबे असर लोगों को बीच में डाल कर सुलह की बेहतर शक्ल इख़्तियार करें, फिर अगर यकजाई की कोई सूरत बाक़ी न रह जाये बल्कि साथ रहने के नतीजे में इन्तिशार बढ़ जाने का ख़तरा हो और दूसरे ख़तरात सामने आने लगें तो ज़रूरतन अ़लाहेदगी की इजाज़त दी गई है, और इसको इस्लामी शरीअ़त में तलाक़ कहा जाता है। तलाक़ के बारे में इस्लामी हिदायत को देख कर बे साख़्ता ये बात ज़हन में आती है कि ये हुक्म उस हकीम व ख़बीर का दिया हुआ निज़ाम है जो मर्द औरत के नफसियात से वाक़िफ ही नहीं बल्कि उनका ख़ालिक भी है (अलमुल्क–14) (क्या वही न जाने जिसने पैदा किया वह तो बड़ा बारीक बीं और बहुत ही ख़बर रखने वाला है।

माहवारी के दिनों में औरत का मिज़ाज चिड़चिड़ा सा हो जाता है कमज़ोरी की बिना पर क़ूवते बरदाश्त उसमें कम से कम हो जाती है इसके अलावा अकसर उसके रंग व रूप पर भी इसका असर पड़ता है ऐसी सूरत में शौहर से नाचाक़ी हो जाना, किसी बात पर जवाब दे देना कोई फितरत के ख़िलाफ अ़मल नहीं है और इसका ख़तरा ज़ियादा है कि मर्द भी उसके रद्दे अमल में कोई ऐसा इक़दाम कर बैठे कि फिर बाद में उसको पछतावा हो, इस्लामी शरीअ़त ने इन दिनों में तलाक़ को सख़्त ना मुनासिब क़रार दिया है, अगर कोई इन दिनों में तलाक़ देता है तो वह सख़्त गुनाह का मुरतकिब क़रार पाता है, इस तरह से तलाक़ का एक बड़ा दरवाज़ा ही बन्द कर दिया गया। इस्लामी हिदायात का एक हिस्सा ये भी है कि तहारत के जिन दिनों में वह अपनी बीवी के पास गया हो और अपनी ज़रूरत पूरी की हो उन दिनों में भी तलाक़ न दे इसलिए कि यह एक तरह की खुदगर्ज़ी भी है और दूसरे ये कि ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद हो सकता है कि वह कशिश में कुछ कमी महसूस करे और कहीं वह वाक़िआ तलाक़ का पेश खेमा न बन जाये, इस्लाम ने उस दरवाज़े को भी बन्द कर दिया और तलाक़ की इजाज़त उन दिनों में दी जब वह बीवी की तरफ रग़बत रखता हो ताकि ख़ुद उसको भी बाद में पछतावा न हो, और किसी का हक़ भी न मारा जाये।

तलाक़ की तादाद के सिलसिले में भी आम तौर पर लोग बात समझ ही नही पाते और असमंजस का शिकार हो जाते हैं अकसर लोग ये समझते हैं कि जब तक तीन तलाक़ें न दी जायें तलाक़ पड़ती ही नहीं है जब कि वाक़िआ यह है कि इस्लाम ने एक ही वक़्त में तीन तलाक़ों से मना किया है शरीअ़ते इस्लामिया की हिदायत ये है कि अगर ज़रूरत हो तो मज़कूरह बाला शराइत के साथ एक तलाक़ दी जाये और अलाहेदगी इख़्तियार कर ली जाये इद्दत पूरी होते ही एक तलाक़ पड़ जायेगी इसका बड़ा फायदा यह है कि अगर बाद में मर्द को अपनी ग़लती का एहसास हो तो अभी उसके लिए दरवाज़ा बन्द नहीं हुआ वह इद्दत के दौरान अपनी बीवी से रुजूउ कर ले या इद्दत के बाद दोबार निकाह कर ले शौहर को इसकी इजाज़त है फिर आइन्दा तलाक़ की ज़रूरत दोबारा महसूस करता है तो फिर उन्हीं शराइत के साथ फिर एक तलाक़ दे अब भी उसके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है वह रुजुउ कर सकता है और बगैर किसी शर्त के दोबारा निकाह कर सकता है अलबत्ता अगर फिर उसने तीसरी मरतबा तलाक़ दी तो उसने दरवाज़ा बन्द कर दिया अब ये दरवाज़ा खोला जा सकता है मगर बड़ी दुश्वारियों के साथ उसकी शक्ल सिर्फ यही है कि उसकी बीवी इद्दत पूरी करे और उसके बाद कोई दूसरा मर्द उससे निकाह कर ले, फिर अगर वह तलाक़ दे दे तो दोबारा उस औरत का निकाह उसके पहले शौहर से हो सकता है लेकिन ग़ौर करने की बात यह है कि अगर मज़कूरह बाला इस्लामी तारीक़े के मुताबिक तलाक़ दी जाये और उसी तरतीब का ख़्याल रखा जाये तो क्या इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है? यक़ीनन जवाब नफी में होगा लाखों में कोई वाक़िआ ऐसा हो तो हो सकता है। मौजूदा सूरते हाल में जो दुश्वारियां पेश आ रही हैं वह सिर्फ इसलिए हैं कि तलाक़ के इस्लामी तरीक़े से वाक़िफ नहीं हैं बगैर किसी ख़्याल के एक ही मजलिस में तीन तलाक़ दे कर पूछते हैं कि अब दोबारा निकाह की क्या शक्ल होगी? तो ज़ाहिर है कि अब मसला दुश्वार तर हो गया मगर ये दुशवारी आख़िर किसने पैदा की? अगर एक ही तलाक़ शरीअत के हुक्म के मुताबिक़ दी होती तो क्या ये सूरत बनती? बात साफ है कि जवाब नफी में होगा।

ये भी इस्लामी हिदायात का एक अहम हिस्सा है कि तलाक़ की कुन्जी मर्द के पास रखी गई है खुद साख़्ता हुकूक इन्सानी के अलमबरदार बन कर औरतों के साथ हमदर्दी जताने वाले लाख शोरो गुल करें लेकिन हक़ीक़त पसंद ख्वातीन खुद इस्लाम के इस निज़ाम पर जो आ़फियत महसूस करती हैं वह नफसियात के माहिरीन समझ सकते हैं, अगर ये कुन्जी औरतों के पास होती तो शायद तलाक़ की संख्या कई गुना बढ़ जाती अल्लाह तआ़ला ने जो कूवते जब्त मर्दों में रखी है वह औरतों में नहीं है इसमें कोई शुब्हा नहीं बाज़ ख़्वातीन इस गुणा में बहुत से मर्दों से आगे होती हैं लेकिन क़वानीन

शेष पृष्ठ .....31..पर.

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्न: क्या इस्लाम में तलाक़ का कोई निजाम व सिस्टम है या बगैर सिस्टम के तलाक हो जाती है?

उत्तर: इस्लाम में तलाक़ का एक सिस्टम मौजूद है जिस को इख्तियार करने की तालीम दी गई है अगर मियां बीवी के बीच तल्खी (नागवारी) पैदा हो जाये और औरत की तरफ से नाफ़रमानी का अन्देशा हो तो शौहर को हुक्म दिया गया है कि पहला काम वह यह करे कि बीवी को समझाये और नसीहत करे, अगर समझाने बुझाने से काम न चले और औरत अल्लाह की हुक्म की पासदारी न करे तो दूसरा काम शौहर यह करे कि उसका बिस्तर अलग कर दे समझदार और शरीफ (भली) औरत के लिए यह एक सजा हो जाती है, लेकिन अगर कोई औरत इस पर भी अपनी हालत दुरुस्त न करे तो तीसरा काम यह है कि शौहर को मामूली तंबीह (पड़ताड़ना) का इख्तियार दिया गया है। अगर इफ्हाम व तफ्हीम नीज़ तंबीह से भी काम न चले और मियां बीवी के बीच झगड़े की सूरत पैदा हो जाये तो ऐसी सूरत में अल्लाह का हुक्म यह है कि दोनों के खानदान से एक एक सालिस (मध्यस्थ) को बीच में डाला जाये और झगड़े को हल करने और मियां बीवी के बीच इत्तिहाद व इत्तिफाक पैदा करने की कोशिश की जाये अगर मध्यस्थता की कोशिश भी ना काम हो जाये और उनको अलग अलग कर देने ही में भलाई नज़र आये तो उस वक़्त तलाक़ की इजाज़त दी गई है और तलाक़ देने में भी एक नियम है उन में अहसन तरीका (उत्तम नियम) इख्तियार किया जाये और वह यह है कि बीवी को उसकी ऐसी पाकी की हालत में एक तलाक़ दी जाये जिसमें मियां बीवी के बीच तअ़ल्लुक काइम न हुआ हो और इद्दत गुजर जाये इस तरह दोनों में जुदाई हो जायेगी अगर दोनों के बीच मुआ़मला बन जाये और निकाह करके फिर दोनों साथ रहने लगें तो इस की इजाज़त है फिर खुदा न करे कशीदगी (तनाव) की कैफियत पैदा हो गई और तफ्रीक (जुदाई) की नौबत आने लगी तो अब दूसरी बार पहले ही की तरह कोशिश करने के बाद तलाक़ की इजाज़त होगी फिर अगर शौहर इद्दत में रुजूअ़ कर के या इद्दत के बाद निकाह करके फिर साथ रहने लगे तो अब तीसरी तलाक की इजाज़त न होगी लेकिन अगर खुदा न करे तीसरी तलाक भी दे दी तो तीन तलाक हो कर बीवी हराम हो जायेगी अब रजअ़त (लौटाने) या तजदीदे निकाह (फिर से निकाह) की गुंजाइश नहीं रहेगी।

लेकिन अगर किसी मजबूरी के सबब उस को फिर बीवी बनाने की ज़रूरत आ पड़े तो उस के लिए यह शर्त लगा दी गई है कि औरत के इद्दत के बाद उस का निकाह किसी दूसरे मर्द से हो और वह दोनों मियां

बीवी की तरह रहने लगें फिर वह मर्द उस औरत को तलाक़ दे दे या खुला वगैरा से अलगाव हो गया फिर इद्दत गुज़र गई तो यह अब पहले शौहर पर हलाल होगी और निकाह कर के दोनों साथ रह सकते हैं इसी को शरई हलाला कहते हैं जो शरीअत में इन्तिहाई ना पसन्दीदा और मकरूह चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसे लोगों पर लानत फरमाई है। (देखिए सू–रए– निसाः 34 और सू–रए– बकराः 230)।

प्रश्नः क्या इस्लाम में तीन तलाक़ की इजाज़त है? क्या कुर्आन से तीन तलाक़ का सुबूत मिलता है?

उत्तरः इस्लामी शरीअत में तीन तलाक़ का वजूद है और कुर्आन से इस का सुबूत भी मिलता है लेकिन दो तलाक़ तक को गवारह किया गया है दो के बाद तीसरी तलाक़ देने को गुनाह का काम बताया गया है इसलिए कि जब तलाक़ देने की ज़रूरत पड़े तो एक या दो तलाक़ से ज़रूरत पूरी हो जाती है, तीसरी की ज़रूरत नहीं रहती अगर कोई तीसरी तलाक़ दे तो यह मना है लेकिन अगर कोई तीसरी तलाक़ दे तो तलाक़ पड़ जायेगी। यह वजह है कि तीसरी तलाक़ के बाद बीवी हराम हो जाती है और हलाला के बिना फिर उस को निकाह में लेना जाइज़ नहीं फिर भी उस पर लानत की गई है और इस अमल को गैरत (लज्जा) के खिलाफ समझा गया है। अल्लाह तआला ने सू–रए–बकरा में तलाक़ के अहकाम के बारे में फरमाया है। अनुवादः "तलाक़ की इजाज़त दो ही मरतबा है उन दोनों के बाद अगर बीवी को रखना हो तो अच्छे अन्दाज़ में रख ले वरना बेहतर तरीके से रवाना कर दे" दो तलाक़ों के बाद औरत को रजअत (लौटाने) या इद्दत के बाद निकाह कर लेने की इजाज़त है लेकिन अब तीसरी तलाक़ देने की इजाज़त नहीं है लेकिन अगर किसी ने शरीअत में नापसन्दीदा तरीके पर तीसरी तलाक़ दे दी तो यह तलाक़ हो जायेगी और अब यह बीवी शौहर पर हराम हो जायेगी आगे अल्लाह का हुक्म है।

तर्जुमाः फिर अगर दो तलाक़ों के बाद शौहर उस औरत को तीसरी तलाक़ भी दे दे तो वह औरत तीसरी तलाक़ के बाद उस शख़्स के लिए हलाल न होगी तावक़्ते कि वह उस शख़्स के सिवा किसी दूसरे मर्द से निकाह न करे फिर अगर वह दूसरा शौहर उस औरत को तलाक़ दे दे तो अब उन दोनों पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि फिर वह दोनों बाहम (निकाह कर के) तअ़ल्लुक़ात वाबसता कर लें बशर्ते कि उन्हें इसका यक़ीन हो कि वह अल्लाह तआला की मुकर्ररा हुदूद को क़ाइम रख सकेंगे और यह मज़कूरा अहकाम अल्लाह तआला के मुकर्रर करदा ज़ाबिते हैं जिन को वह उन लोगों के लिए साफ़–साफ़ बयान करता है जो दानिशमन्द हैं।

(अलबक़राः 230)

हदीस में भी कई वाक़िआत मिलते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में हुए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन तलाक़ों का हुक्म जारी किया है।

(नसईः 2/98)

प्रश्न: अगर कोई तलाक़ के अहसन तरीके (उत्तम नियम) को छोड़ कर अपनी बीवी को तलाक़ दे तो तलाक़ पड़ेगी या नहीं?

उत्तर: तलाक़ के अहसन तरीके को छोड़ कर तलाक़ देना अच्छी बात नहीं है लेकिन अगर कोई अपनी बीवी को तलाक़ के अहसन तरीके को छोड़ कर तलाक दे तो तलाक़ पड़ जायेगी चाहे पाकी के जमाने में तलाक़ दी हो चाहे हैज़ के ज़माने में और चाहे गर्भ के ज़माने में, एक तलाक़ देगा तो एक तलाक़ पड़ेगी, दो तलाक़ देगा तो दो तलाकें पड़ेंगी और तीन तलाक देगा तो तीन तलाकें पड़ेंगी और तीनों तरह की तलाकों का बयान ऊपर आ चुका है।

प्रश्न: इद्दत किसे कहते हैं और तलाक़ की इद्दत क्या है?

उत्तर: इद्दत उस ज़माने (समय) को कहते हैं जिस को गुज़ारने से पहले तलाक़ पाई हुई औरत का निकाह किसी से नहीं हो सकता इस की कई किस्में हैं।

(1) तलाक़ पाई हुई औरत ऐसी हो जिस को हैज़ (मासिक धर्म) न आता हो या ऐसी बूढ़ी हो कि उस का हैज़ बन्द हो चुका हो इन दोनों की इद्दत तीन महीने है।

(2) तलाक़ पाई हुई औरत को हैज़ आता हो उस की इद्दत तीन हैज़ है, अगर तलाक़ हैज़ की हालत में मिली हो तो वह हैज़ शुमार न होगा उसके अलावा तीन हैज़ इद्दत होगी।

(3) तलाक़ पाने वाली औरत अगर हम्ल (गर्भ) से हो तो उस की इद्दत बच्चे की पैदाइश है चाहे कम से कम वक्त में हो चाहे कई महीने लग जायें।

इद्दत का वक़्त अगर कोई खतरा या रुकावट न हो तो शौहर के घर में ही गुज़ारना होगा और इद्दत के ज़माने का बीवी का खर्च शौहर को देना होगा अगर किसी वजह से बीवी शौहर के घर इद्दत न गुज़ार सके तब भी इद्दत के ज़माने का बीवी का खर्च शौहर को देना होगा।

प्रश्न: अगर किसी औरत पर उस का शौहर जुल्म कर रहा हो या उस का हक न दे रहा हो और औरत उस से तलाक़ चाहती हो मगर वह तलाक़ भी न दे रहा हो तो औरत क्या करे?

उत्तर: औरत अपने शौहर से खुलअ़ माँगे कहे कि महर के बदले में या इद्दत का खर्च मुआफ कर देने के बदले में या कुछ नक्द के बदले में मुझे खुला दे दीजिए और शौहर इस पर राजी हो कर कहे मैं ने तुम को खुला दे दिया तो औरत अपने शौहर से छुटकारा पा जायेगी और शौहर को रुजुअ़ (लौटा लेने) का हक न होगा अब इद्दत के बाद औरत किसी और से निकाह कर सकती है, लेकिन अगर शौहर खुला देने पर राजी न हो तो मज़्लूमा (पीड़िता) औरत शरई अदालत में मुकद्दमा कायम करे वहां अगर काजी के नज़दीक औरत मजलूमा साबित होगी तो काजी शौहर को जुल्म न करने और बीवी का हक अदा करने पर राजी कर के सुलह कराने की कोशिश करेगा या फिर शौहर को खुला देने पर राजी करेगा अगर शौहर इस पर राजी न होगा और शौहर

की ज़ियादती साबित होगी तो काजी निकाह फस्ख़ (खत्म) कर के दोनों में तफरीक करा देगा लेकिन फस्खे निकाह के कुछ शराइत हैं। शराइत के पाये जाने ही पर काजी फस्खे निकाह करके जुदाई करायेगा। अगर फसखे निकाह के शराइत न पाये जायेंगे तो औरत को शौहर के साथ रहने का हुक्म देगा। जब काजी फस्खे निकाह कर के दोनों में तफरीक़ कर देगा तो इद्दत के बाद औरत किसी और से निकाह कर सकती है।

प्रश्नः जिस औरत का शौहर वफात पा जाये उस की इद्दत क्या होगी?

उत्तरः जिस औरत का शौहर वफात पा जाये उस की इद्दत चार महीने दस दिन है लेकिन अगर वह हम्ल (गर्भ) से हो तो बच्चे की पैदाइश पर उसकी इद्दत पूरी हो जायेगी, उसको चाहिए कि इद्दत के ज़माने में शरई जरूरत के बिना बाहर न निकले साथ ही बनाव श्रृंगार न करे।

❖❖❖

तलाक़ इस्लाम का ..... अपवादों को सामने रख कर नहीं बनाये जाते वह उमूमी सूरते हाल को सामने रख कर बनाये जाते हैं।

तालक़ की शक्लों में एक मशरुउ शक्ल खुलअ़ की भी है इसमें औरतों के लिए एक रास्ता खुला छोड़ दिया गया है लेकिन कुछ बंदिशों के साथ, अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ रहने पर आमादह नहीं है तो वह कुछ ले दे कर अपने शौहर से मुआमला कर सकती है और अलाहिदगी इख़्तियार कर सकती है, और अगर शौहर बीवी के हुकूक की आदयगी पर क़ादिर नहीं या उसमें कोताही करता है, नान नफक़ा अदा नहीं करता, या उस पर बेजा जुल्म करता है, और बाज़ नहीं आता तो औरत को इस्लामी अ़दालत में जाने का हुक्म है वहां से उसको ख़लासी मिल सकती है, जहां इस्लामी निज़ामे हुकूमत काइम न हो और जम्हूरियत हो वहां भी मुसलमानों के दारुलक़ज़ा काइम कर के अपने दाख़िली मुआ़मलात हल करने की इजाज़त है ऐसी सूरत में क़ाजी शरीअ़त को मख़सूस सूरतों में निकाह फस्ख करने का भी इख़्तियार होता है ऐसे इदारों से भी ख़्वातीन अपने मसाइल हल करा सकती हैं, हासिल ये है कि तालक़ के बाब में भी इस्लाम ने ऐसा संतुलित (मुतवाज़िन) और आ़दिलाना निज़ाम पेश किया है कि कोई मज़हब उसका आधा पौना ही पेश करके बता दे।

❖❖❖

हिन्द है अपना वतन

हिन्द है अपना वतन
आलम में यह मशहूर है
सेकूलर है राज यां का
सेकूलर दस्तूर है
हिन्दू मुस्लिम सिख मसीही
मिल के सब रहते हैं यां
बाहमी उलफ़त है उन में
बाहमी हमदर्दियां
है यहां इल्मो हुनर
और रूह की भी है गिज़ा
दीनो दुन्या का ख़ुदा ने
इस को है संगम किया

बचत

—मौलाना नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

वह एक बहुत बड़े साम्राज्य का महान शासक था। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, बहुत दिन हुए मीठा खाए, आज मीठा मिल जाता तो बढ़िया होता। लेकिन पति चुप। अन्ततः उस बड़े साम्राज्य के सम्राट के मुंह से बोल फूटे, मेरे पास पैसे कहाँ? होते तो खिला देता। तुम तो जानती ही हो कि जीवन किस जुगाड़ से चल रहा है। पत्नी ने कहा हाँ—हाँ अच्छी तरह से जानती हूं इसलिए तो कभी गिला नहीं किया। लेकिन ये बताइये कि यदि मैं रोजमर्रा के खर्चों में से थोड़ा थोड़ा सा बचा कर इकट्ठा करूं और जब मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूं कि उससे मिठाई खरीद सकूं तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? पति को इससे क्या आपत्ति हो सकती थी। पति ने आज्ञा दे दी।

सुघड़ पत्नियां ऐसा ही करती हैं। घर के खर्चों में से थोड़ा—थोड़ा बचत कर लेती हैं जो कि मौके पर काम आते हैं। कुछ दिनों बाद पत्नी ने कौड़ी—कौड़ी बचा कर पैसा पति को दिया कि इसकी मिठाई मंगवा दीजिए।

पति को जब बचत का हाल मालूम हुआ तो कहा, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा कम में भी गुजारा हो सकता है। तुम ने थोड़ा—थोड़ा बचा कर यह पैसा जमा किया लेकिन हमें तनिक भी आभास नहीं हुआ कि तुम उन पैसों में बचत कर रही हो। अतः पति ने मिठाई हेतु बचाए गये पैसे को राजकीय कोष में जमा कर दिया और उस पैसे के बराबर अपने वेतन में कटौती करा दी।

राजकीय कोष में पैसा जमा कराने और अपने वेतन में कटौती कराने वाले का नाम महान शासक हज़रत अबूबक्र रज़ि0 था। ये हज़रत मुहम्मद सल्ल0 के सबसे करीबी और सबसे प्रिय थे। आप सल्ल0 कहा करते थे कि मैंने दुन्या में सबका एहसान चुका दिया है लेकिन अबू बक्र रज़ि0 का एहसान आख़िरत (परलोक) में चुकाऊँगा।

आरम्भ में हज़रत अबू बक्र रज़ि0 राजकोष से कोई वेतन नहीं लेते थे। कुछ दिनों बाद व्यापार छोड़ कर अपना सम्पूर्ण समय देश के लिए समर्पित कर दिया तो वेतन निर्धारित किया गयां अन्तिम समय आया तो अपनी प्रिय पुत्री हज़रत आइशा रज़ि0 को बुला भेजा और कहा, अमुक जमीन बेच कर राजकीय कोष से मिलने वाले वेतन की पूरी रकम वापस कर दो ताकि देश और क़ौम की सेवा निःस्वार्थ हो।

हमारे देश और प्रदेश में लोकसभा विधान सभा में आए दिन माननीय सदस्य महोदय वेतन बढ़ाने हेतु मांग करते हैं और वह तुरन्त स्वीकार भी हो जाता है। यदि वह अबू बक्र रज़ि0 से सीख लें तो देश का उद्धार हो जाए। किताबों में है कि हजरत अबू बक्र रज़ि0 कपड़े का व्यापार करते थे। कन्धे पर थान डाले बाजारों में फिरते और बेचते। आप खलीफा

शेष पृष्ठ .....35..पर.

धर्म की मौलिकता

—इं0 जवेद इकबाल

जब से इन्सान धरती पर आया और उस ने होश संभाला तब ही से उसे खुदा की ओर से जो शिक्षा मिली वह तीन बातों पर आधारित थी। यही तीन बातें आगे चल कर धर्म के मूल अधिकार बनीं। पहली और मुख्य शिक्षा खुदा की विशुद्ध भक्ति अर्थात तौहीद की तालीम है। जिसे हमारे भारतीय मुख्य धर्म ग्रंथों (वेदों) में इस तरह कहा गया है:—

एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, नेह ना नास्ति किंचन अर्थात खुदा तो एक ही है, दूसरा कोई नहीं नहीं नहीं ज़र्रा बराबर कोई (दूसरा) नहीं है। खुदा की वहदानियत (एकता) को वेदों में अनेक तरह से बयान किया गया है अथर्वेद में एक जगह कहा गया है:—

तमिदं निगतं सहः स एष एक एक वृदेकएकः इस का अर्थ है कि वह खुदा बड़ी कूव्वत वाला, सर्वशक्तिमान है वह एक है, वाक़ई एक है। मौजूदा ज़माने में खुदा की आखिरी किताब कुर्आन में इस तरह कहा गया है:—

अल्लाहु ला इलाह इल्लाह हुव।

अर्थ नहीं है कोई पूजने योग्य सिवा अल्लाह के।

कुर्आन पाक में हज़रत नूह अलै0 की कथा कई स्थानों पर बयान हुई है। हज़रत नूह अलै0 वह महान ईशदूत थे जिन की कथा प्रत्येक धर्म के धर्म ग्रंथों में सुरक्षित है। उनके ज़माने में ही भयंकर सैलाब आया था जिस में पूरी धरती जल मग्न हो गई थी जिसे जलप्लावन की घटना कहा जाता है। उन्हीं हज़रत नूह अलै0 के बारे में कुर्आन की आयत नं0 11:25—26 में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हम ने ही नूह को उन की क़ौम की ओर भेजा था ताकि वह उन्हें सावधान कर दें कि तुम अल्लाह के सिवा किसी अन्य की इबादत (भक्ति) न करो अन्यथा मुझे डर है कि तुम पर किसी दिन कठोर आपदा न आ पड़े''। एक अन्य आयत नं0 20:98 में फरमाया गया है, ''लोगों तुम्हारा पूज्य तो केवल एक ही अल्लाह है उस के सिवा कोई अन्य पूज्य नहीं है हर चीज़ उस के ज्ञान की परिधि में है ।

इस तरह की शिक्षा इंजील मत्ती अध्याय 4 की आयत नं0 10 (4:10) में ईसा इलै0 ने फरमाया है कि ''तू अपने खुदा को सज़दा कर और केवल उसी की उपासना कर''।

इसी तरह इंजील मरकुस में हज़रत ईसा अलै0 ने फरमाया है कि सब से मुख्य संदेश यह है कि हम सब का प्रभु एक ही परमेश्वर है, तुम सब अपने तन मन धन सब से बढ़ कर अपने प्राणों से भी बढ़ कर उस से प्रेम रखना'' (12:29—30)।

इंजील मरकुस में ईसा अलै0 की एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह भी है कि तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो उत्तम तो केवल एक ही है अर्थात ईश्वर (10:18)।

और बाइबिल की किताब इसतसना के अध्याय 4 की आयत नं0 35 स्पष्ट शब्दों में बयान कर रही है कि उपासना योग्य प्रभु तो बस

एक खुदा ही है उसके सिवा अन्य कोई नहीं है"।

इसतसना अध्याय 5 की आयत नं0 7,8,9 में फरमाया गया है कि तुम मेरे सिवा (ईश्वर के सिवा) सिकी अन्य को पूज्य न बनाना, तुम अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना, न धरती आकाश के नीचे और न पानी के नीचे और न किसी वस्तु की मूर्ति को पूज्य बनाना, न तुम उन के आगे सजदा करना और न उन को पूज़ना"।

इस तरह हम ने देखा कि वेद, बाइबिल, इंजील कुर्आन सब ही धर्मग्रथों में एक खुदा की विशुद्ध भक्ति के स्पष्ट आदेश सुरक्षित हैं। इसी लिए अन्तिम ईश ग्रंथों कुर्आन में यह नियंत्रण बड़े प्रेम पूर्वक अंदाज में दिया गया है। ऐ ईशग्रंथ धारकों आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे तुम्हारे बीच समान है, वह यह कि अल्लाह के सिवा किसी की भक्ति न करें, उस का साझी न ठहरायें और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना पालनहार न बना ले...."। (3:64)

ध्यान देने की बात है कि खुदा का कलाम (ईशवाणी) धरती के जिस भाग में उतरती है वहीं की भाषा में उतरती है ताकि लोगों को उसका समझना सरल हो। बदलते समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न ईशदूत (नबी, रसूल, सन्देष्टा) आते रहे और अपने अपने इलाकों में तथा अपने अपने समय में इंसानों की विकसित होती हुई क्षमताओं के अनुसार उन्हें खुदा की इबादत और सामाजिक जिम्मेदारियों की शिक्षा देते रहे। विभिन्न ज़मानों में जैसे जैसे इंसान की बुद्धि और क्षमता का विकास होता गया खुदा की इबादत के तरीक़ों में थोड़ा परिवर्तन होता गया। मगर मौलिक शिक्षायें सदैव समान रहीं। अन्तर केवल उपासना पद्धति में हुआ करता था।

वर्तमान काल में जब दुन्या एक गांव का रूप लेने के द्वार पर पहुंचने को थी, दूरियां सिमट रही थीं, संचार माध्यम विकसित हो रहे थे, दुन्या के एक कोने से लगाई जाने वाली आवाज़ दूसरे कोने तक जाने में कोई रुकावट बाक़ी रहने वाली न थी, और यह सब ख़ुदा की प्लानिंग के अनुसार चल रहा था, सब कुछ उस के ज्ञान में था अतः उस मालिक ने धरती के केन्द्र, उम्मुल कुरा नाफ़े ज़मीन (नामा प्रथिवा) अर्थात मक्का नगर में अपने आख़िरी रसूल हज़रत मुहम्मल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भेज दिया।

ज्ञात रहे कि अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के मार्ग दर्शन तथा अपने आदेश पहुंचाने हेतु जो बहुत से दूत (पैग़म्बर) भेजे उन की संख्या के विषय में अल्लाह तआला ने अपने अन्तिम नबी से फरमाया " हमने तुम से पहले बहुत से रसूल भेजे उन में से कुछ का वर्णन तुम से किया और कुछ का नहीं" (मोमिन:78) उन में से 26 का उल्लेख तो पवित्र कुर्आन में है, वह दो प्रकार के हैं कुछ वह हैं जिन के मनों पर अल्लाह ने अपने आदेश सीधे उतारे उन को कोई पुस्तक नहीं दी उन को नबी कहा जाता है, कुछ वह हैं जिन पर अल्लाह ने अपने आदेश सीधे भी उतारे और हज़रत जिब्रील द्वारा आदेश तथा संदेश भेज कर कोई पुस्तक दी जैसे तौरेत, ज़बूर, इंजील तथा कुर्आन, ऐसे ईश दूतों को रसूल कहते हैं, याद रहे

कि जो रसूल होता है वह नबी भी होता है, सबसे पहले मनुष्य दादा आदम अलै0 हैं वह नबी भी हैं और अन्तिम रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं। यह भी जान लें कि नबी को शाब्दिक अर्थ में रसूल भी कह सकते हैं रसूल का अर्थ है सन्देष्टा और हर नबी सन्देष्टा होता है।

पहले नबी हज़रत आदम अलै0 से ले कर आखिरी रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक जितने भी नबी रसूल आये सब का मूल सन्देश एक ही था–

अव्वल यह कि एक खुदा के सिवा कोई अन्य पूजने योग्य नहीं है, उसके सिवा किसी अन्य की भक्ति न करो। अल्लाह सब पाप क्षमा करने को तैयार है मगर मिश्रित भक्ति अर्थात उस के साथ किसी अन्य की भक्ति करने वाले (मुशरिक) को कभी माफ़ नहीं करेगा। यह उस का अहम फ़ैसला है जिसे उसने कुर्आन में स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया है।

जैसे– *"अल्लाह मॉफ नहीं करेगा और न क्षमा करेगा उस गुनाह को कि उस के साथ किसी अन्य को साझी बनाया जाये, और मॉफ़ कर देगा अन्य गुनाह जिस को चाहेगा"।*

(सूरः निसा :115)

दूसरा यह कि उस मालिक ने इंसान को दुन्या में भेजा है और हर एक को उसी के पास लौट कर जाना है वहां सब को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, प्रत्येक कर्मपत्र रिकार्ड हो रहा है, आडियो भी वीडियो भी, फैसले के उस दिन कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों का इन्कार न कर सके गा। कर्मों के अनुसार ही प्रत्येक को जन्नत या जहन्नम में स्थान मिलेगा।

तीसरा यह कि गुज़रे हुए ज़माने के ईश दूतों को सच्चा नबी मानते हुए, अपने ज़माने के ईशदूत की बातों को मान कर उसके पदचिन्हों पर चलना तथा उस के बताये हुए रास्ते को सत्य मान कर उसी के अनुसार अमल करना भी धर्म की बुन्यादी बातों में से एक है।

सभी नैतिक शिक्षायें और धार्मिक उपासनायें इन्हीं तीन मूल, बुन्यादी बातों में सिमटी हुई हैं। ◆◆

बचत .....

खलीफा (शासक) बन गए तो भी काफी दिनों तक यही काम करते रहे। शासन हेतु व्यस्तता बढ़ी तो विवशतापूर्वक ये काम छोड़ना पड़ा। मगर खलीफा बन कर भी आप मुहल्ले के कई घरों में जाते। उनकी बकरियां दूहते और उनके लिए बाजार से सामान लाते।

हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का भी यही अमल था। एक बार अबू हुरैरह रज़ि0 आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ बाजार गए और वहां कपड़ा खरीदा। दुकानदार ने कपड़ा बांध दिया। अबू हुरैरह रज़ि0 ने झट से हाथ बढ़ा कर उसे ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा, लाओ मुझे दो जो सामान जिस का हो उसी को उठाना चाहिए।

ठीक उसके उलट हमारे शासक–प्रशासक तो अपने हाथ से एक गिलास पानी ले कर पीना गवारा नहीं करते। सच तो बस यही है कि यदि हमारे शासक–प्रशासक इस्लामी शासकों से प्रेरणा ले कर शासन चलाएं तो देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। ◆◆

हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दअ़वत और उन की विरोधी क़ौम का परिणाम

—फ़ौज़िया सिद्दीक़ा फ़ाज़िला बी0ए0

और निः सन्देह हम ने नूह को सन्देष्टा (रसूल) बना कर उसकी क़ौम की ओर भेजा, उस ने अपनी क़ौम से कहा, मैं तुम को स्पष्ट डराने वाला हूं, और तुम को यह समझाता हूं कि तुम अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की उपासना मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर एक कष्ट दायक प्रकोप से डरता हूं, नूह की इस बात पर उस की क़ौम के उन नेताओं ने जो नास्तिक (काफिर) थे यूं कहा हम तो तुम को अपना ही जैसा एक मनुष्य देखते हैं और हम ये देखते हैं कि जो तुम्हारे अनुयायी हैं, वह केवल हमारे यहां के कुछ नीच लोग हैं ऊपरी मत से तुम्हारे अनुयायी बन गये हैं और हम तुम लोगों में अपने से कोई बड़ाई नहीं पाते, अपितु हम तो तुम को झूठा समझते हैं, नूह ने कहा ऐ मेरी क़ौम भला देखो तो अगर मैं अपने रब की ओर से एक स्पष्ट, उज्जवल प्रमाण पर नियुक्त हूं और मेरे रब ने अपनी ओर से मुझ को दया अर्थात नुबूवल प्रदान की है (नबी बनाया है) फिर उसकी वास्तविकता तुम्हारी निगाहों से छुपा दी गई हो तो क्या हम बलात उस दया को तुम से चिमटा दें और तुम उस से घृणा करते हो, और ऐ मेरी क़ौम मैं तुम से इस सत्य को पहुंचाने पर कुछ धन नहीं मांगता, मेरा प्रतिफल तो अल्लाह ही के जिम्मे है और न मैं उन लोगों को जो ईमान लाते हैं अपने पास से हटाने वाला हूं इस लिए कि वह सब अपने रब से मुलाक़ात करने वाले हैं मगर मैं तुम को देखता हूं कि तुम लोग मूर्खता की बातें कर रहे हो और ऐ मेरी क़ौम अगर मैं उन निर्धन ईमान वालों को हटा दूं तो अल्लाह की पकड़ के मुक़ाबले में मेरी कौन सहायता करेगा क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? और तुम से यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं और न मैं यह कहता हूं कि मैं परोक्ष की सब बातें जानता हूं और न यह कहता हूं कि मैं कोई फ़िरिश्ता हूं और जो लोग तुम्हारी दृष्ट में नीच तथा हीन हैं उन के सम्बन्ध में मैं तुम्हारी तरह यह भी नहीं कह सकता कि अल्लाह उन को कोई भलाई नहीं देगा उन के मन की बात को अल्लाह ही भली भांति जानता है, अगर मैं उन के विषय में कोई अनुचित बात कहूं तो निःसन्देह मैं अत्याचारों में से हो जाऊँगा, इस उत्तर पर क़ौम ने कहा ऐ नूह! तू ने मुझ से झगड़ा और वादविवाद तो बहुत कुछ कर लिया अब तू जिस प्रकोप की धमकी देता है अब तू उसे ले आ अगर तू सच्चा है। नूह अलै0 ने कहा उस प्रकोप को तो अल्लाह ही तुम पर लाएगा अगर उस ने चाहा, फिर तुम कहीं भाग कर उस प्रकोप से बच न सको गे फिर उस वक़्त मैं तुम्हारे साथ चाहे जितनी भलाई करना चाहूं कर न सकूंगा, अगर अल्लाह को यह मंजूर है कि वह तुम को पथ भ्रष्ट रखे तो वही तुम्हारा मालिक है और उसी की ओर तुम लौटाए जाओगे, कया मक्के के काफिर कहते हैं कि यह कुर्आन पैग़म्बर ने गढ़ लिया है आप कह दीजिए कि मैं ने अगर कुर्आन को स्वयं बनाया है तो मेरा गुनाह मुझ ही पर होगा, और मैं उन गुनाहों से जिन को तुम करते रहते हो मैं उन से भार मुक्त हूं और फिर नूह की तरफ "वही" भेजी गई कि अब तेरी क़ौम में से कोई

कदापि ईमान न लाएगा मगर हां जो ईमान ला चुके वह ला चुके, तो ये लोग जो कुछ कर रहे हैं उस पर तू दुखी न हो, और एक नाव हमारी संरक्षण में और हमारे आदेशानुसार तैयार कर और अपनी क़ौम के अवज्ञाकारों के विषय में मुझ से कोई बात न कर इसलिए कि यह सब डुबो दिये जाएंगे।

और नूह ने नाव बनाने का काम आरंभ कर दिया और जब कभी उनकी क़ौम के सरदार उन के पास से गुजरते तो नूह पर हंसते नूह जवाब में कहते कि आज तुम हम पर हंस रहे हो हम भी तुम पर एक दिन हसेंगे उसी तरह जिस तरह तुम आज हम पर हंस रहे हो और जल्द ही तुम को ज्ञात हो जाएगा कि वह प्रकोप किस पर आता है, जो उस को अपमानित कर देगा और (फिर जान लोगे) कि किस पर स्थाई प्रकोप उतरता है यहां तक कि जब हमारा आदेश आ पहुंचा और तन्नूर से पानी उबलने लगा तो हमने नूह को आदेश दिया कि हर प्रकार के पशुओं में से एक एक जोड़ा नर व मादा का नाव में सवार करले और अपने घर वालों को भी, लेकिन जिस के विषय में हमारा आदेश पहले से जारी हो चुका है (उस को छोड़ कर) और उनको भी सवार कर ले जो ईमान ला चुके हैं और नूह अलै0 पर कुछ थोड़े आदमियों के अतिरिक्त कोई ईमान नहीं लाया था और नूह अलै0 ने अपने साथियों से कहा कि तुम इस नाव में सवार हो जाओ कि इसका चलना और इसका ठहरना सब अल्लाह के नाम की बरकत से है।

निःसंदेह मेरा रब बड़ा क्षमा करने वाला और बहुत ही कृपालू है, और वह नाव उन सब को ले कर पहाड़ जैसी ऊँची तरंगों में चलने लगी और नूह अलै0 ने अपने बेटे कनआन को पुकारा और वह बेटा नाव से अलग एक स्थान पर था कहा ऐ मेरे बेटे हमारे साथ नाव में सवार हो जा और काफ़िरों के साथ न मिल जा, उस ने जवाब दिया मैं अभी किसी पहाड़ की श्रण ले लूंगा जो मुझ को इस बाढ़ से बचा ले गा, नूह अलै0 ने कहा कि आज अल्लाह की पकड़ से कोई बचाने वाला नहीं मगर हां वही बच सकता है जिस पर अल्लाह कृपा करे इतने में दोनों बाप बेटे के बीच एक तरंग आ गई और वह लड़का डूबने वालों में हो गया और अल्लाह तआला की तरफ़ से आदेश आया कि ऐ धरती अपने पानी को निगल जा और ऐ आकाश बरसने से रुक जा और पानी कम कर दिया गया और प्रकोप का काम पूरा कर दिया गया और नाव जूदी पहाड़ पर जा ठहरी और कहा गया कि काफ़िर लोग अल्लाह की दया से वंचित हैं और नूह अलै0 ने अपने रब को पुकारा और यूं कहा ऐ मेरे रब यह मेरा बेटा भी (जो डूब गया है) मेरे घर वालों में से है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सब हाकिमों का बड़ा हाकिम (आज्ञा दाता) है अल्लाह ने कहा ऐ नूह यह बेटा तेरे घर वालों में से नहीं है इस लिए कि इस के काम भले नहीं हैं मुझ से किसी ऐसी बात की मांग न कर जिस का तुझ को ज्ञान न हो मैं तुझ को समझाता हूं, ऐसा न हो कि तू मूर्खों में से हो जाए, नूह अलै0 ने कहा ऐ मेरे रब मैं इस बात से तेरी ही श्रण मांगता हूं कि मैं भविष्य में कोई ऐसी मांग करुं जिस की वास्तविकता मुझे ज्ञात न हो और अगर तू मुझे क्षमा न देगा और मुझ पर दया नहीं करेगा तो मैं बड़ा घाटा पाने वालों में से हो जाऊँगा। अल्लाह का आदेश आया ऐ नूह हमारी सलामती और हमारी वह बरकतें ले कर पहाड़ से नीचे उतर जो तुझ पर और उन जमाअ़तों (गिरोहों) पर जो

शेष पृष्ठ ...38 पर.....

ज़िक्रे रसूल की मजलिसें और हमारा अहद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)

—मौलाना सै0 मुहम्मद हमजा हसनी नदवी —हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

अल्लाह की मजलिसें काइम करना उन में नातें पढ़ना दुरूद और सलाम पढ़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अख़लाक़ और आप की तालीमात बयान करना बड़े ही सवाब का काम है। इन मजलिसों में मुसलमानों के दिलों में अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महब्बत बढ़ जाती है और अमल का जज़्बा उभरता है। ऐसी मुबारक मजलिसों में हम सब को अहद करना चाहिए कि हम अपनी पूरी ज़िन्दगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी में गुज़ारेंगे, और आप की हर हर सुन्नत पर अमल करेंगे पानी पियेंगे तो वैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पीते थे, खाना खायेंगे तो उस तरह खायेंगे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खाना खाते थे। तात्पर्य यह कि सोने जागने चलने फिरने, दीन का काम करने, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और आम मुसलमानों के साथ उसी तरह मुआमला करेंगे जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम करते थे, इसी तरह नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज, सद्कात देने, इन्सानों के साथ हमदर्दी, मुहताजों, यतीमों और बेवाओं के साथ उसी तरह हुसने सुलूक करेंगे जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम करते थे। ◆◇◆

तेरे साथ हैं उतरती रहेंगी और बहुत सी जमाअतें ऐसी भी होंगी जिन पर हम थोड़े दिन सांसारिक लाभ उठाने देंगे फिर हमारी ओर से उन पर दुखद प्रकोप आएगा। ऐ पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह घटनाएं परोक्ष की सूचनाओं में से कुछ सूचनाएं हैं जिन को हम आप की ओर "वही" द्वारा पहुंचाते हैं इन घटनाओं को हमारे बताने से पहले न आप ही जानते थे न आप की क़ौम इन सब से अवगत थी, तो आप सब्र कीजिए और विश्वास कीजिए कि संयमी लोगों का परिणाम सब से अच्छा होता है।

(सू—रए—हूद :25—49)

हज़रत नूह अलै0 उच्चकोटि के रसूलों में से हैं, पवित्र कुर्आन में सू—रए —नूह नाम की तो एक पूरी सूरत ही है और कई जगहों पर हज़रत नूह अलै0 का ज़िक्र आया है जैसे अल आराफ:59—64, यूनुसः 71—73, अल मोमिनून 23—31) अश्शुअराः 105—122, अल अन्कबूतः 14—15, अस्साफ़्फ़ात 75—82, अल क़मरः 9—16, तहरीमः 9) हज़रत नूह अलै0 के इस बयान से यह सबक़ मिलता है कि जिस प्रकार उनकी क़ौम ने उन का कहना न माना तो उस पर अल्लाह का अज़ाब (प्रकोप) आया यहां तक कि उन का नाफरमान बेटा और नाफरमान बीवी अल्लाह के अज़ाब से न बच सके उसी प्रकार अगर हम अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का विरोध करेंगे तो अल्लाह की पकड़ से न बच सकेंगे, इस संसार में भी पकड़ हो सकती है परन्तु आखिरत में अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का विरोधी जहन्नम की आग से न बच सकेगा, हम सब अन्तिम नबी पर ईमान रखते हैं, उन से प्रेम रखते हैं और उन के अनुयायी हैं उन पर अल्लाह का बहुत बहुत सलाम और अल्लाह की रहमतें हों। ◆◇◆

दिल से दुरूद उन पर या रब मैं पढ़ रहा हूँ

—इदारा

इसयां से अपने या रब तौबा मैं कर रहा हूँ।
चौखट पे तेरी मौला माथा रगड़ रहा हूँ।।

प्यारे नबी ने मुझ को दर तेरा है दिखाया।
प्यारे नबी पे या रब ईमान रख रहा हूँ।।

दुख मुझ से जिस को पहुंचा खुश कर उसे इलाही।
उसके लिए दुआएं हर रोज़ कर रहा हूँ।।

मोहसिन हैं जितने मेरे या रब जज़ा दे उन को।
हर दिन सवाब उन को ईसाल कर रहा हूँ।।

या रब नबी की उम्मत मुश्किल में आ घिरी है।
उम्मत का हाल सुन कर दिन रात कुढ़ रहा हूँ।।

आसान कर दे मुश्किल उम्मत की तू खुदाया।
दरगाह में मैं तेरी फ़रयाद कर रहा हूँ।।

लाखों सलामो रहमत प्यारे नबी पे तेरे।
दिल से दुरूद या रब उन पर मैं पढ़ रहा हूँ।।

उर्दू सीखये

—इदारा

हिन्दी जुम्ले की मदद से उर्दू जुम्ले पढ़ये।

इस्लाम यह है कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है

اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے

और गवाही दे कि मुहम्मद सल्ल0 अल्लाह के रसूल हैं,

اور گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں،

उन पर अल्लाह की रहमत और सलाम हो

ان پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو

और तू नमाज़ काइम करे और माल की ज़कात अदा करे

اور تو نماز قائم کرے اور مال کی زکوٰۃ ادا کرے

रमज़ान के रोजे रखे और जिसको मक्के के रास्ते की इस्तिताअत हो वह हज भी करे

رمضان کے روزے رکھے اور جس کو مکّہ کے راستہ کی استطاعت ہو وہ حج بھی کرے

ईमान यह है कि तू ईमान लाए अल्लाह पर

ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر

और ईमान लाए अल्लाह की किताबों और उसके रसूलों पर

اور ایمان لائے اللہ کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر

ईमान लाए कियामत के दिन पर और तक़दीर पर

ایمان لائے قیامت کے دن پر اور تقدیر پر

कि वह अच्छी हो या बुरी अल्लाह ही की तरफ से है

کہ وہ اچھّی ہو یا بری، اللہ ہی کی طرف سے ہے

यह इस्लाम के बुन्यादी अक़ाइद हैं

یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں

इन में से किसी भी बात का इन्कार कुफ़्र है

ان میں سے کسی بھی بات کا انکار کفر ہے

इस्लाम और ईमान की ऊपर की बातें हदीस से ली गई हैं

اسلام اور ایمان کی اوپر کی باتیں حدیث سے لی گئی ہیں